दैनिक

नवप्रदेश

प्रदेश के साथ पूरा देश...

www.navpradesh.com | रायपुर, मंगलवार 5 जनवरी 2021, कृष्ण पक्ष-षष्ठी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-302 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ : अब सीधे एग्रो कंपनी को मशरूम बेचेगा महिला समूह

- **मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ एमओयू**
- **बिलासपुर के सेलर गांव की महिलाओं की उपलब्धि**

नवप्रदेश संवाददाता

बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरवा बारी योजना से प्रदेश की महिलाएं आत्म निर्भर छत्तीसगढ़ का सपना साकार कर रही है। गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों को हाथों-हाथों लिया जा रहा है। हाल ही में अंबिकापुर के एक स्व-सहायता समूह ने निर्धारित दर से अधिक दर पर वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री के लिए हैदराबाद की एक कंपनी के साथ एमओयू किया था। इसी कड़ी में सोमवार को महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा मशरूम की बिक्री के लिए एक कंपनी के साथ एमओयू हुआ है। वो भी प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के समक्ष। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को जब ■ शेष पृष्ठ 7 पर

मुख्यमंत्री ने बताया लाभ का फॉर्मूला

गौठान के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों, महिला स्व सहायता समूहों से चर्चा की और उन्हें बताया कि गौठान से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, गौठान से ग्राम स्वावलंबन एवं ग्रामीणों को रोजगार कैसे मिल सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के समक्ष सेलर के जागृति महिला स्व सहायता समूह और बिलासपुर के गणेश गुप्ता दीपांगी एग्रो के मध्य मशरूम क्रय-विक्रय के लिए एमओयू किया गया। महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।

सीएम ने गौठान में लगाया बरगद का पौधा

गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी व्यवस्था, वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण, महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा की जा रही आयमूलक गतिविधियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने गौठान में बरगद का पौधा लगाया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ठाकुर और चिन्तामणी महाराज, विधायक शैलेष पाण्डेय भी उपस्थित थे।

आज बेबाक

तू ने मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां... गाते हुए बंगाल के भाजपाई जरूर खुशी से नाच उठे होंगे। टीएमसी की पहले ही वाट लगी हुई है और अब रही सही कसर ओवैसी ने बंगाल में एंट्री मार कर पूरी कर दी है। ओवैसी ने बिहार में अपनी ताकत दिखाकर राजद का खेल बिगाड़ दिया था। इसी वजह से दीदी डरी हुई है कि ओवैसी बंगाल में भी उनके वोट बैंक में सेंध लगाकर टीएमसी की ऐसी तैसी न कर दें। यदि ओवैसी की पार्टी बंगाल के दंगल में ताल ठोकती है तो इसका भारी खामियाजा दीदी को भुगतना पड़ेगा।

खास-खबर

छग से मजदूरों को उप्र ले जा रही बस पलटी, 12 से ज्यादा घायल

अंबिकापुर/ नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ से मजदूरों को उत्तर प्रदेश ले जा रही बस अंबिकापुर में पलट गई। हादसा लखनपुर स्थित कुंवरपुर जलाशय के पास मोड़ पर हुआ। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक घायल हो गए। करीब 40 की संख्या में मजदूरों को लेकर ये बस जांजगीर चांपा से निकली थी, लेकिन अंबिकापुर में आकर हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफी अधिक थी, जिसके कारण मोड़ पर चालक का इस पर से नियंत्रण छूट गया और यह पलट गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हुए हैं।

अफगानिस्तान में हवाई हमले में 13 की मौत

काबुल/ ए.। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में हवाई हमले में 13 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं। प्रांतीय प्रेस कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि हमले में मारे गये आतंकवादियों में एक तालिबानी नेता भी था, जिसे हाल ही में अफगान सरकार के साथ अमेरिका-मध्यस्थता शांति समझौते के तहत छोड़ा गया था, जिसकी पुष्टि अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ने भी की है।

बेनतीजा खत्म हुई केंद्र सरकार व किसानों के बीच सातवें दौर की वार्ता

आंदोलन के 40वें दिन एक और तारीख तय

- **कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे किसान**
- **सरकार संशोधन के लिए मांग रही आपत्ति**

नई दिल्ली/ए.। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच पिछले सवा महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। बारिश और ठंड के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की सोमवार को आंदोलन के 40वें दिन एक बार फिर से सरकार के साथ बैठक हुई। लेकिन यह बेनतीजा ही खत्म हो गई। अब अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। पिछली बातचीत में सरकार ने किसानों की दो मांगें मान ली थी- बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने और पराली जलाना जुर्म न हो। वहीं सोमवार की बातचीत के दौरान किसान नेता अपनी मांगों पर अडिग नजर आए। किसानों की ओर से सिर्फ और सिर्फ तीनों कृषि कानूनों पर बात की गई। किसानों की ओर से बार-बार तीनों कानून को रद्द करने की बात की गई जबकि सरकार की तरफ से सुधार करने की बात की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की कि आप सुधार पर मान जाइए। जानकारी के अनुसार, बातचीत के दूसरे दौर में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य ■ शेष पृष्ठ 7 पर

दोनों पक्षों ने मिलकर तय की अगली तारीख: तोमर

सातवें दौर की वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात से इनकार किया कि किसान यूनियन को सरकार पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार और यूनियन की रजामंदी से ही आठ तारीख की बैठक तय हुई है इसका मतलब है कि किसानों को सरकार पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि किसानों की भी मंशा है कि सरकार रास्ता तलाशे और आंदोलन खत्म करने का स्थिति हो। चर्चा में दो अहम विषय एमएसपी और कानून थे, कुल मिलाकर चर्चा अच्छे वातावरण में हुई। दोनों पक्ष चाहते हैं कि समाधान निकले।

कानून किसानों के हितों के अनुरूप ही : कृषिमंत्री

सरकार ने कानून बनाया है तो किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाया है। हम चाहते हैं कि यूनियन की तरह से वह बात आए जिस पर किसानों को ऐतराज है, इस पर सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है।

मारे गए किसानों के लिए रखा मौन

बातचीत शुरू होने से पहले आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। दिल्ली में भारी बारिश और हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बावजूद किसान सिंघु बॉर्डर समेत कई सीमाओं पर मोर्चेबंदी पर डटे हुए हैं। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे।

टावरों में तोड़फोड़ रोकने हाईकोर्ट पहुंची रिलायंस

कहा- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेना देना नहीं

नई दिल्ली/(वार्ता)। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सोमवार को 'कॉर्पोरेट या 'कॉन्ट्रैक्ट' खेती कारोबार में उतरने का कोई इरादा नहीं जताते हुए पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में अपनी अनुषंगी जियो इंफोकॉम के मोबाईल टावरों में तोड़फोड़ को तुरंत रुकवाने के लिये याचिका दायर की। याचिका में रिलायंस ने कहा कि नए तीन कृषि कानूनों का कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है, और न ही किसी भी तरह से उसे इसका कोई लाभ पहुंचता है।अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए न्यायालय में रिलायंस ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड और रिलायंस से जुड़ी कोई भी अन्य कंपनी ■ शेष पृष्ठ 7 पर

वैक्सीन आपूर्ति पर सरकार-सीरम के बीच इसी हफ्ते करार के आसार

नई दिल्ली/(वार्ता)। केंद्र सरकार कोरोना वायरस कोविड-19 के देशव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए अगले कुछ दिनों में पुणे की वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के साथ कोरोना वैक्सीन 'कोविशील्ड' की आपूर्ति का समझौता कर सकती है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार और एसआईआई इसी सप्ताह कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति का समझौता कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अभी यह तय नहीं किया है कि किस कंपनी से वैक्सीन की कितनी खुराक ली जाएगी। 'कोविशील्ड' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित है और सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में इसका दूसरे तथा तीसरे चरण का मानव परीक्षण किया है। सीरम इंस्टीट्यूट साथ ही एस्ट्राजेनेका के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता करके भारत में ही कोविशील्ड के डोज तैयार कर रहा ■ शेष पृष्ठ 7 पर

पहले 10 करोड़ डोज 200 रुपए की दर पर देंगे: एसआईआई

एसआईआई का कहना है कि वह केंद्र सरकार को की जानी वाली वैक्सीन की कुल आपूर्ति में पहले 10 करोड़ डोज 200 रुपये प्रति डोज की विशेष कीमत पर बेचेगी। कंपनी की योजना खुले बाजार में वैक्सीन की कीमत प्रति डोज करीब 1,000 रुपये तय करने की है, लेकिन इसके लिए उसे पहले सरकार की रजामंदी की आवश्यकता है।

निर्यात का आदेश जरूरत परखने के बाद

इसी तरह एसआईआई को वैक्सीन के निर्यात के लिए भी सरकार के आदेश की जरूरत होगी। सरकार भारत में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ही एसआईआई को वैक्सीन के निर्यात का आदेश देगी। इस बीच सरकार ने भारत बायोटेक और एसआईआई दोनों को बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन की खुराक तैयार करने के निर्देश दिये हैं, ताकि आदेश मिलते ही वे तुरंत उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें।

हादसा: मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा

लखनऊ/ए.। यूपी के गाजियाबाद जिले में मुरादनगर में रविवार को श्मशान घाट पर हुए हादसे में मारे गए लोगों को परिजनों को योगी सरकार ने दस लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। योगयता के आधार पर नौकरी का भी वादा किया गया है, वहीं घायलों का प्राइवेट अस्पताल में फ्री में इलाज को कहा गया है। बता दें कि आज सुबह से ही ग्रामीणों ने शव रखकर जाम लगा दिया था। वे मुख्यमंत्री को बुलाए जाने की मांग पर अड़े थे। इसके बाद अधिकारियों ने परिवार के साथ वार्ता की।

पुलिस पर भड़के मृतकों के परिजन

मृतकों के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा लिया। वहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाना चाहा। इस पर लोग भड़क गए। पुलिस से कहा कि पहले हमें गोली मार दो फिर शव ले जाओ। मुरादनगर में मृतकों के परिजनों के प्रदर्शन के चलते मेरठ तिराहे से मुरादनगर तक भीषण जाम लग गया है। यह जाम मेरठ की सीमा तक पहुंच गया। जाम के चलते राजनगर एक्सटेंशन से मुरादनगर की तरफजाने वाले वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई है।

विरोध : राजनिवास के सामने धरना देंगे सीएम नारायणसामी

पुड्डुचेरी/(वार्ता)। पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा है कि वह उपराज्यपाल किरण बेदी को वापस बुलाये जाने की मांग को लेकर आठ जनवरी से राजनिवास के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। नारायणसामी ने उपराज्यपाल के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने के लिए जनता का समर्थन जुटाने के वास्ते रविवार को पुड्डुचेरी के समीप कांगाचेट्टिकुलम में प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की। अन्य नेता अपने पदों अथवा ओहदों को लेकर कतई चिंतित नहीं है तथा किसी भी परिणाम का सामने करने के लिए तैयार हैं।

उपराज्यपाल के साथ मतभेद हैं चर्चित

उपराज्यपाल के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के मतभेद चर्चित रहे हैं। श्री नारायणसामी ने आरोप लगाया है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पुड्डुचेरी में कांग्रेस-डीएमके सरकार को सत्ता से बेदखल और केंद्रशासित प्रदेश का तमिलनाडु के साथ विलय करना चाहती है। उन्होंने श्रीमती बेदी पर विकासपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालने का आरोप भी लगाया है।

वाड्रा का बयान दर्ज करने उनके दफ्तर पहुंची आयकर की टीम

नई दिल्ली/ए.। रॉबर्ट वाड्रा के दिल्ली स्थित दफ्तर में सोमवार को इनकम टैक्स की टीम पहुंची। आयकर की टीम वाड्रा और उनकी कंपनी से जुड़ी कुछ बेनामी संपत्तियों के मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए उनके दफ्तर पहुंची। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक, साउथ ईस्ट दिल्ली स्थित सुखदेव विहार वाले दफ्तर पर वाड्रा का बयान दर्ज होगा। खबर लिखे जाने तक टीम दफ्तर में ही मौजूद थी।

आयकर विभाग ने पहले भी रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज करने के लिए उन्हें समन किया था लेकिन तब उन्होंने कोरोनावायरस महामारी का हवाला देते हुए बयान दर्ज नहीं कराया था। पिछले साल जुलाई में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी आर्म्स डीलर संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया केस दर्ज किया था। यह केस केंद्रीय जांच ब्यूरो के उस मामले के आधार पर दर्ज किया गया था, जो इस जांच एजेंसी ने उसी महीने में ओएनजीसी, संजय भंडारी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत किया था।

वाड्रा कर चुके आरोपों से इंकार

ब्रिटेन में कथित तौर पर कुछ अघोषित आय रखने के आरोप में वाड्रा आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय भी धनशोधन विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ इन आरोपों की जांच कर रहा है। पेशे से कारोबारी वाड्रा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों और कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। कांग्रेस ने कुछ महीने पहले कहा था कि वाड्रा के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है।

उम्मीदें बहाल | कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन शुरू होने की घोषणा से निवेशकों में जगी उम्मीद, 307.82 अंक उछला सेंसेक्स

बाजार को 'प्री वैक्सीनेशन डोज', सेंसेक्स पहली बार 48 हजार पार

मुंबई/(वार्ता)। कोविड 19 वैक्सीन को मंजूरी मिलने व विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार नवें दिन मजबूती रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पहली बार 48 हजार अंक के पार पहुंच गया।

चौतरफा लिवाली के बीच सेंसेक्स 307.82 अंक यानी 0.64 प्रतिशत की छलांग लगाकर 48,176.80 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 114.40 अंक यानी 0.82 प्रतिशत की बढ़त के साथ 14,132.90 अंक के नये रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में 21 दिसंबर के बाद से लगातार तेजी का क्रम बना हुआ है। इस दौरान नौ कारोबारी दिवस में सेंसेक्स 2,622.84 अंक यानी 5.76 प्रतिशत और निफ्टी 804.05 अंक यानी 6.04 प्रतिशत चढ़ चुका है।

बाजार में उछाल की ये रही वजहें

- देश में कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन शुरू होने की घोषणा से निवेशक अर्थव्यवस्था के जल्द पटरी पर लौटने को लेकर आशान्वित हैं।
- विदेशों में नववर्ष के अवकाश के बाद पहली बार बाजार खुलने पर लौटी तेजी से भी निवेश धारणा मजबूत बनी हुई है।
- मझौली और छोटी कंपनियों में निवेशकों ने ज्यादा विश्वास दिखाया।

बढ़त में इनका सर्वाधिक योगदान

धातु, आईटी, टेक, तेल एवं गैस, दूरसंचार, स्वास्थ्य और एफएमसीजी कंपनियों ने बाजार की बढ़त में सर्वाधिक योगदान दिया। सेंसेक्स की कंपनियों में ओएनजीसी का शेयर चार प्रतिशत से अधिक चढ़ा। टीसीएस में भी पौने चार फीसदी की तेजी रही। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर तीन फीसदी, टेक महिंद्रा का ढाई फीसदी और इंफोसिस तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर दो फीसदी से अधिक चढ़े। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करीब डेढ़ फीसदी टूट गया।

भारत को राहत, सभी खिलाड़ियों और स्टाफ के टेस्ट नेगेटिव

मेलबोर्न/ए. (वार्ता)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात जनवरी से सिडनी में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को बड़ी राहत मिली है। टीम के सभी खिलाड़ियों और स्टाफके कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। नए साल के मौके पर भारतीय टीम के पांच खिलाड़ी रोहित शर्मा, रिषभ पंत, शुभमन गिल, नवदीप सैनी और पृथ्वी शॉ एक इंडोर रेस्टोरेंट में खाने गए थे जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस मामले की जांच करने पर सहमति जतायी थी। इस मामले के सामने आने के बाद इन पांचों भारतीय खिलाड़ियों को एहतियातन आइसोलेशन में रखा गया था। हालांकि सभी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद टीम इंडिया ने राहत की सांस ली होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला सात जनवरी से सिडनी में होगा। दोनों टीमों के बीच सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है।

न्यूज गैलरी

बैठक आज

दुर्ग। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल प्रबंधन कार्य निर्धारित करने के संबंध में 5 जनवरी 2021 को कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट दुर्ग के सभाकक्ष में शाम 4 बजे बैठक आयोजित किया गया है।

विद्युत आपूर्ति बाधित

भिलाई। इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएँ विभाग के अन्तर्गत टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वार्षिक रखरखाव योजना 2020-2021 के तहत टाउनशिप में विद्युतीय मेंटेनेंस कार्य संपादित किये जा रहे हैं। यह कार्य प्रतिदिन योजनानुसार पूर्ण किये जाते हैं। इस कार्य के तहत टाउनशिप में विभिन्न तिथियों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेंगी। तिथि अनुसार प्रभावित होने वाले क्षेत्र में 5 जनवरी को रूआबाँधा सेक्टर, 6 को रिसाली सेक्टर, 7 को मरौदा सेक्टर, 8 को से-10, 9 को से-6, रशियन काम्प्लेक्स, बीएमडीसी, 11 को जवाहरलाल नेहरु हॉस्पिटल, 12 को जवाहरलाल नेहरु हॉस्पिटल, 13 को सेक्टर 8 व सेक्टर-7, 14 को सेक्टर-5, इंदिरा प्लेस तथा 15 को सेक्टर-6, सेक्टर-2 व सेक्टर-1, उपरोक्त क्षेत्रों में प्रातः 9.30 बजे से 1.30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। नगर सेवाएँ विभाग के टाउन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग ने संबंधित क्षेत्र के निवासियों से सहयोग की अपील की है।

विधायक व महापौर ने लिया अमृत मिशन का जायजा

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। अग्रसेन चौक पर अमृत मिशन प्रोजेक्ट के तहत इंटरकनेक्शन वर्क का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम अफसरों को समय पर काम पूरा करने कहा है। अमृत मिशन प्रोजेक्ट के अधिकारियों से कहा कि शहर की जनता को पर्याप्त पानी सप्लाई करने के लिए प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, उपअभियंता भीमराव, जलकार्य निरीक्षक नारायण ठाकुर भी मौजूद थे। विधायक व महापौर ने अधिकारियों से कहा कि यह कार्य प्राथमिकता से कराएं। कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए। उन्होनें कहा कि इंटर कनेक्शन कार्य के दौरान किसी भी तरह का नुकसान न हो। चौक पर लगभग 5 फीट पाइपलाइन को काटकर निकाला गया है और उस स्थान पर टी पाइप लगाकर इंटरकनेक्शन किया जा रहा है।

एक वर्ष के विकास कार्यो की समीक्षा

नगर निगम की नई परिषद का एक वर्ष का कार्यकाल 6 जनवरी को पूरा हो रहा है। इसे लेकर महापौर ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक लेकर एक वर्ष के विकास कार्यो की समीक्षा की। इस अवसर पर निगम आयुक्त, वित्त प्रभारी दीपक साहू, लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, राजस्व प्रभारी ऋषभ जैन, जलकार्य प्रभारी संजय कोहले, विद्युत यांत्रिकी विभाग प्रभारी भोला महोबिया, स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर के अलावा कार्यपालन अभियंतागण, सहा. अभियंता, राजस्व अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, बाजार अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में महापौर ने अधोसंचरना मद के तहत् विकास कार्यो के साथ 14 वें वित्त के विकास कार्य और प्रस्तावित कार्यो पर विस्तार से चर्चा की गई । उन्होनें इस एक वर्ष में शंकर नाला के साथ कसारीडीह नाला, केलाबाड़ी नाला, सिकोला नाला की सफाई के साथ ही शहर के विभिन्न वार्डो की बड़ी और छोटो सहायक नालियों की तल से सफाई कार्य की समीक्षा की। बैठक में अमृत मिशन योजना के तहत् बनाये गये और प्रस्तावित उद्यानों की चर्चा की गई।

अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। निगम नेहरूनगर से स्मृति नगर जाने वाले रोड में पुल के समीप अवैध रूप से प्लाटिंग तैयार करने की मंशा से जमीन को समतल कर मार्ग संरचना तैयार करने का कार्य किया जा रहा था। अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलने पर जोन 01 के आयुक्त सुनील अग्रहरी की टीम मौके पर पहुंची और कार्यवाही प्रारंभ की। इस दौरान मौके पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होने के कारण भूमि स्वामी की जानकारी नहीं हो पाई। जोन आयुक्त की उपस्थिति में राजस्व विभाग की टीम ने अवैध प्लाटिंग करने के उद्देश्य से बनाए गए मार्ग संरचना को जेसीबी से ध्वस्त किया। जोन 01 नेहरूनगर क्षेत्र से स्मृति नगर जाने वाले रोड के पास करीब 1/2 एकड़ में अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई। निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग व अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने सभी जोन आयुक्तों को दिए। स्मृति नगर रोड पर अज्ञात लोगों के द्वारा अवैध प्लाटिंग की मंशा से जमीन को समतल कर मुरूम, मिट्टी से मार्ग संरचना का निर्माण किया गया था जिसे जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करते हुए मुरूम जब्ती किया गया। इस कार्य में एक जेसीबी और एक डम्फर संलग्न किया गया था। कार्यवाही के दौरान विभागीय अधिकतारी व कर्मचारी मौजूद थे।

निर्मित उद्यान का निरीक्षण कर लिया जायजा

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। सेक्टर 1 का उद्यान काफी बड़े भूभाग के तीन अलग अलग पार्ट में इसे तैयार किया गया है। उद्यान को प्राकृतिक सौंदर्यीकरण के उददेश्य से वृक्षों को उद्यान के भीतर यथावत रखा गया है। उद्यान को अच्छी तरह से सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है। चारो तरफ से बाउंड्रीवाल और आने जाने के लिए भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। 1.44 करोड़ की लागत से उद्यान का निर्माण पूर्ण हो चुका है। गैरेज रोड और सेक्टर 01 के बीच की जमीन को तीन हिस्सों में विभाजित कर उद्यान का सौंदर्यीकरण किया गया है। रेलवे स्टेशन के सामने प्रथम बार उद्यान को पर्यटकों की सुविधा के अनुसार सौंदर्यीकरण किया गया है। इसे चौपाटी जैसा लुक दिया गया है। गजीबों का निर्माण किया गया है। आकर्षण की दृष्टिकोण से अलग अलग फूलों की बगिया तैयार की गई है। बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है। चलने के लिये दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाकर पाथवे का निर्माण किया गया है। उद्यान में आने वालों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो का लोकापर्ण करने आ रहे हैं जिसकी तैयारियों का जायजा लेने महापौर व विधायक देवेन्द्र यादव व आयुक्त पहुंचे।

नोडल अधिकारी ने किया अवलोकन

नवप्रदेश संवाददाता

रिसाली। स्लम क्षेत्र में चल रहे स्वास्थ्य शिविर के तहत निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने मार्निंग विजिट कर वार्ड 2 रूआबांधा झिरियापारा में पहुंचकर शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लैब टेस्ट और दवाई की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। शिविर में मौके पर उपस्थित रूट प्रभारी प्रमोद बंजारे एवं शांता देशलहरे को मेडिकल मोबाइल यूनिट का आमजनों में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उक्त हेतु उन्होंने वार्ड मितानिने व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने का भी निर्देश दिए। आज रूआबांधा स्वास्थ्य शिविर में 37 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया।

वहीं डुंडेरा स्वास्थ्य शिविर में 63 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु पहुंचे। जहां 8 लोगों को आगे की इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया।

भूपेश सरकार ने दो वर्षों में जमकर छला : सांसद

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। भूपेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद नए कैलेंडर वर्ष के अवसर पर सांसद विजय बघेल ने छग की भूपेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीते हुए 2 साल छत्तीसगढ़ को 10 साल पीछे कर दिया है ये 2 साल बुरे सपने की तरह गुजरे हैं। कांग्रेस के केंद्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ को पैसा उगाही का एटीएम बना दिया है, जिसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार 24 घंटा सातों दिन ट्रांसफर उद्योग चालू रखती है। अक्षम अधिकारियों को महत्वपूर्ण कमान दी जा रही है। प्रदेश के सारे जिला मुख्यालयों में सभी विभागों के लगातार चार छह महीने में अधिकारियों के बदलने से छत्तीसगढ़ का विकास बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। चुनाव से पहले रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने के साथ.साथ शराब बंदी का वादा किया गया लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया गया। वोटों के लिए गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाने वाले अब शराब के प्रीमियम शोरूम खोलने के साथ.साथ होम डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं। ये सरकार पता नहीं छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। विजय बघेल ने कहा कि किसान हित की बात करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस लगातार किसानों की आत्महत्या पर मौन है। अनजान कंपनियों के लेबल लगाकर प्रदेश में अमानक बीज, नकली खाद और घटिया कीटनाशक का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा हैए जिससे किसान ठगी का शिकार होने के साथ.साथ अपनी फसल की बर्बादी भी झेल रहे हैं जिसका परिणाम हताश किसानों की आत्महत्या के रूप में सामने आ रहा है। इन सब कामों पर अंकुश लगाने की बजाए भूपेश सरकार ऐसी अनजान कंपनियों को अमानक बीज, नकली खाद और घटिया कीटनाशक बेचने का लाइसेंस देकर भ्रष्टाचार करके सोनिया कांग्रेस का खजाना भरने में लगी है। चुनाव से पहले शत प्रतिशत धान खरीदने का वादा किया लेकिन अब प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदने की बात कहकर किसानों को ठगने का काम भूपेश सरकार ने किया है। सांसद बघेल ने कहा कि किसानों, बेरोजगारों, गरीबों और शराब से पीड़ित महिलाओं का दर्द की अनदेखी करते हुए सत्तासुख भोगने के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाना निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। प्रतिदिन प्रदेश के कोने कोने में महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार और अनाचार की सैकड़ों घटनाएं सामने आ रही है। अपराधियों और असामाजिक तत्वों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था बस्तर से सरगुजा तक बुरी तरह से चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ तेजी से अपराधगढ़ बनता जा रहा है।

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका अलका रानी गायकवाड़ पति थावेश सिन्हा वगै. साकिन मैत्रीकुंज रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 32/3 रकबा 0.026 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.12.2020 के आधार पर विक्रेता सुलोचना जैन पिता/पति अजय जैन के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 08.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 26.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक लालाराम पिता जीवराखन साहू वगै. साकिन मरोदा सेक्टर भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1098/22, 1100/22 रकबा 0.010 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.11.2020 के आधार पर विक्रेता जार्ज के थन्काचन पिता स्व. जी. थन्काचन के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 08.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 26.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अजय सुनील तिर्की पिता अब्राहम तिर्की साकिन रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 262/69 रकबा 0.020 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.10.2020 के आधार पर विक्रेता बाबूराम साहू पिता स्व. बिरजू साहू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 08.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 26.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक जसदेव सिंह जब्बल आ. हरवंश सिंह जब्बल साकिन हुडको द्वारा ग्राम बोडेगांव प.ह.न. 14 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 632 रकबा 0.0190 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता उर्मिला बाई आ./पति कार्तिकराम से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 21.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रुपेश कुमार साहू पिता स्व. शिवप्रसाद निवासी मचान्दुर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कातरो तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1324/2, 1378/2, 1379 रकबा 1.170 हें भूमि जो कि रुपेश कुमार के शिवप्रसाद पिता परसराम के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु 18.11.2020 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 19.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री पीलाराम साहू पिता स्व. सुखूराम निवासी चिरपोटी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम चिरपोटी तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 568, 571, 71, 72, 240 रकबा कुल 1.510 हें भूमि जो कि स्व. सुखूराम पिता संपत के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु 07.12.2020 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/2020-21
ई.पंजी. 202012101500016

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम दरबार मोखली प.ह.नं. 33 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक लक्ष्मीनारायण बंछोर आ. स्व. सतूराम निवासी दरबार मोखली द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि अपने पिता संतूराम बंछोर आ. स्व. घासीराम बंछोर द्वारा ग्राम दरबार मोखली प.ह.न. 33 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 307/1 रकबा 0.263 हें (नया ख.न. 1091) को विक्रेता मोहन पिता तिलोचन से पंजीकृत बैनामा दिनांक 18.02.1981 से आवेदक ना.बा. के नाम से क्रय कर कास्त काबीज है एवं ऋण पुस्तिका बना है किन्तु कम्प्यूटर ऑनलाईन रिकार्ड में विक्रेता का नाम दर्ज होने से अपने नाम पर दर्ज कर ऋण पुस्तिका में बालिक दर्ज किए जाने बाबत् आवेदक पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदक नारायण बंछोर आ. स्व. संतूराम निवासी दरबार मोखली द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधार पर राजस्व अभिलेख दुरुस्ती की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 15.01.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर पद मुद्रा आज दिनांक 16.12.2020 जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका शमसुन निहार शरीफ पिता/पति अहसानुल्लाह शरीफ निवासी ग्राम सुभाषनगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 711/46 रकबा 0.024 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार ए.यू. शरीफ आ. कादिर शरीफ की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 20.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700307

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रवीण कुमार पाटिल पिता स्व. रमेश कुमार पाटिल निवासी ग्राम गायत्री मंदिर वार्ड तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम तितुरडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 122/349 रकबा 0.0100 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार प्रभा पाटिल पति रमेश पाटिल की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700408

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री ओमिन साहू पति थानेश्वर साहू निवासी ग्राम नयापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 29/39 रकबा 0.005 हे. भूमि को विक्रेता संतोष कुमार जायसवाल अन्य पिता शिवशंकर जायसवाल निवासी ग्राम वार्ड नं. 01 नयापारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 01.07.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 20.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री महेश कुमार पटेल पिता मिलऊराम पटेल निवासी शंकर नगर वार्ड 10 दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 551/15 रकबा 0.0130 हे. भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार प्रकाश पिता रामदीन यादव से दिनांक .. को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 21.01.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मोहनलाल पिता स्व. नवीन दास मारकाण्डेय निवासी बजरंग पारा वार्ड 58 उरला दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 482 रकबा 0.020 हे. भूमि को हकत्यागकर्ता/आम मुख्तयार शंकरलाल एवं अन्य 09 पिता स्व. नवीनदास मारकाण्डेय से दिनांक 26.12.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 20.01.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020 -21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनोज कुमार चंद्राकर पिता गिरीजानंदन निवासी कसारीडीह दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम डुण्डेरा तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 83, 90, 91, 100, 109, 125, 142, 146, 148, 176, 238, 622/1, 719/1, 878, 921, 928, 1121, 1124 भूमि जो कि के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु 09.11.2020 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार भिलाई 03 जिला- दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./00034/अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका तुलसी बाई पिता/पति मकसुदन निवासी परेवाडीह ने ग्राम परेवाडीह प.ह.न. 62 रा.नि.मं. भिलाई 03 तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर 128 रकबा 0.64 हे. को विरासत हक के आधार पर भूमिस्वामी मकसुदन पिता सांवलदास राजस्व अभिलेख के सहखातेदार के रुप में अपना नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पेश किया है।

जिसकी सुनवाई न्यायालय में दिनांक 08.01.2021 नियत है। अतः जो कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था उपरोक्त वर्णित संपत्ति में हित रखते है नियत तिथि को 11.00 बजे या उसके पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी आपत्ति/दावा पेश कर सकते है। नियत तिथि के उपरांत दावा/ आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24.12.2020 को जारी किया गया ।

मुहर — नायब तहसीलदार भिलाई-3 जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

मा.क्रं.202012100900084

विषयः अ-06 अ — वर्ष 2020-21

राखी प.ह.न.00020(179/3(0.3200 हे.)

पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार- कृष्ण कुमार साहू उर्फ अशोक कुमार साहू

अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम राखी प.ह.न. 20 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री कृष्ण कुमार साहू उर्फ अशोक कुमार साहू आ. मानसिंह साहू निवासी ग्राम बाजार चौक चंगोराभाठा रायपुर द्वारा ग्राम राखी प.ह.न. 20 तहसील पाटन स्थित अपने पर दर्ज भूमि खसरा नं. 179/3, 177/2 रकबा 0.32, 0.40 हे. कुल खसरा 02 रकबा 0.72 हे. के राजस्व अभिलेख में कृष्ण कुमार के साथ उर्फ के रुप में अशोक कुमार दर्ज कर राजस्व अभिलेख दुरुस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदक श्री कृष्ण कुमार साहू उर्फ अशोक कुमार साहू आ. मानसिंह साहू के राजस्व अभिलेख दुरुस्ती की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 07.01.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 24.12.2020 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

मा.क्रं. 202101101500001

विषयः अ-6 — वर्ष 2020-21

सुपकोन्हा प.ह.न.00037(55/4(0.2000 हे.)

पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार- रणजोध सिंह

अनावेदक पक्षकार- रविन्दर सिंह

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम सुपकोन्हा प.ह.न. 37 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदकगण श्री रणजोध सिंह पिता दलबीर सिंह अन्य 01 निवासी ग्राम सुपकोना तह. पाटन व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम सुपकोन्हा प.ह.न. 37 तहसील पाटन स्थित भूमिस्वामी रविन्दर सिंह पिता जनरैल सिंह के नाम दर्ज भूमि खसरा नं. 55/4 रकबा 0.20 हे. को पंजीकृत बैनामा दिनांक 13.11.2020 को से क्रय आधार पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु सहित आवेदन प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदक श्री रणजोध सिंह पिता दलबीर सिंह अन्य 01 द्वारा पंजीकृत बयनामा से उपरोक्त दर्शिता भूमि क्रेता के नाम नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 18.01.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 02.01.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-20(3) वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202011103800004

आवेदक सोनराज बोथरा आ. खेतमल बोथरा निवासी सी/502 लेकव्यू अपार्टमेंट गंजपारा दुर्ग एवं अन्य 01 द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग में स्थित भूमि शीट क्रमांक 30 सी भूंखड क्र 158/1 रकबा 5076 वर्गमीटर एवं भूखण्ड क्र. 156/2 क्षेत्रफल 44.24 वर्गमीटर भूमि विक्रेता संतोष देवी सेठिया पति सुरेन्द्र कुमार सेठिया निवासी गंजपारा दुर्ग से आवेदक/क्रेतागण सोनराज बोथरा आ. खेतमल बोथरा एवं संजय जैन बोथरा आ. सोनराज बोथरा द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 21.03.2013 द्वारा क्रय कर काबिज है। आवेदकगण द्वारा उक्त क्रयशुदा प्रश्नाधीन भूखण्ड से धारक का नाम विलोपित कर पंजीकृत बैनामा के आधार पर क्रेतागण का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 13.01.2021 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय राजस्व निरीक्षक सिकोला दुर्ग (छ.ग.)

सूचना-सीमांकन

संदर्भ- तहसीलदार दुर्ग के ज्ञापन क्रं. 16 दिनांक 14.12.2020 — वर्ष 2019-20

उपरोक्त आदेश के परिपालन में ग्राम उरला प.हन. 07 रा.नि.मं.- सिकोला के भूमि स्वामी/आवेदक श्री सुखदेव राजपूत आ. दर्शन सिंह के भूमि ग्राम उरला में स्थित सीमांकन/ बटाकन/स्थल जांच/ बन्दोबस्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदित भूमि ख.न. 820/12 रकबा 0.021 हें का स्थल जांच/ सीमांकन/ बंटाकन/ त्रुटि सुधार मेरे द्वारा किया जावेगा। चुंकि उक्त खसरा नंबर से आपकी भूमि भी लगी हुई है या अपाके द्वारा बेची गई है। अतः आप अपने समस्त दस्तावेजों (पंजीयन ले आऊट वगैरह) के साथ मौके पर दिनांक 11.01.2021 को 12.00 बजे उपस्थित रहें।

मुहर — राजस्व निरीक्षक सिकोला दुर्ग

कार्यालय राजस्व निरीक्षक सिकोला दुर्ग (छ.ग.)

सूचना-सीमांकन

संदर्भ- तहसीलदार दुर्ग के ज्ञापन क्रं. 01 दिनांक 04.11.2020 — वर्ष 2019-20

उपरोक्त आदेश के परिपालन में ग्राम उरला प.हन. 07 रा.नि.मं.- सिकोला के भूमि स्वामी/आवेदक श्री राजेश शुक्ला आ. सुरेशचंद शुक्ला के भूमि ग्राम उरला में स्थित सीमांकन/ बटाकन/स्थल जांच/ बन्दोबस्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदित भूमि ख.न. 609/3 रकबा 0.005 हें का स्थल जांच/ सीमांकन/ बंटाकन/ त्रुटि सुधार मेरे द्वारा किया जावेगा। चुंकि उक्त खसरा नंबर से आपकी भूमि भी लगी हुई है या अपाके द्वारा बेची गई है। अतः आप अपने समस्त दस्तावेजों (पंजीयन ले आऊट वगैरह) के साथ मौके पर दिनांक 11.01.2021 को 12.00 बजे उपस्थित रहें।

मुहर — राजस्व निरीक्षक सिकोला दुर्ग

कार्यालय राजस्व निरीक्षक सिकोला दुर्ग (छ.ग.)

सूचना-सीमांकन

संदर्भ- तहसीलदार दुर्ग के ज्ञापन क्रं. 02, 03, 04 दिनांक 04.11.2020 — वर्ष 2019-20

उपरोक्त आदेश के परिपालन में ग्राम उरला प.हन. 08 रा.नि.मं.- सिकोला के भूमि स्वामी/आवेदिका श्रीमती रश्मि शुक्ला आ. राजेश शुक्ला के भूमि ग्राम उरला में स्थित सीमांकन/ बटाकन/स्थल जांच/ बन्दोबस्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदित भूमि ख.न. 224/29, 224/37, 609/2 रकबा 0.005, 0.037, 0.067 हें का स्थल जांच/ सीमांकन/ बंटाकन/ त्रुटि सुधार मेरे द्वारा किया जावेगा। चुंकि उक्त खसरा नंबर से आपकी भूमि भी लगी हुई है या अपाके द्वारा बेची गई है। अतः आप अपने समस्त दस्तावेजों (पंजीयन ले आऊट वगैरह) के साथ मौके पर दिनांक 11.01.2021 को 12.00 बजे उपस्थित रहें।

मुहर — राजस्व निरीक्षक सिकोला दुर्ग

स्पीकर डॉ. महंत ने किया विधानसभा के वर्ष 2021 के कैलेण्डर का विमोचन

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सोमवार को पूर्वान्ह छत्तीसगढ़ विधान सभा के वर्ष 2021 के कैलेण्डर का विमोचन किया । इस अवसर पर सांसद, कोरबा, ज्योत्सना महंत, विधान सभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायकगण, विधान सभा के प्रमुख सचिव चन्द्र शेखर गंगराड़े एवं विधान सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सोमवार को डॉ. चरणदास महंत का छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष के रूप में दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है।

कबीरजी के सिद्धांत को बनाया है मूल वाक्य: डॉ. चरणदास महंत

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में विधान सभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि- लोकसभा एवं राज्यसभा की तरह छत्तीसगढ़ विधान सभा ने भी पहली बार अपना कैलेण्डर जारी किया है । 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संत कबीर, संत गुरु घासीदास जी एवं अपने पुरखों की भावनाओं के अनुरूप उनका यह सदैव प्रयास रहा कि सदन की गरिमा बरकरार रहे । उन्होंने सदैव 'ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर' के कबीर जी के सिद्धांत को सदन के संचालन में अपना मूल वाक्य बनाया है । उनका यह प्रयास होगा कि छत्तीसगढ़ विधान सभा अपनी प्रक्रिया, परम्परा एवं कार्य संचालन में पूरे देश मे ही नहीं वरन् विदेशों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाये । इस अवसर पर मान. मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वरिष्ठ विधायक मान. सत्यनारायण शर्मा एवं मान. विधायक श्री विकास उपाध्याय ने भी उपस्थित जनों को सम्बोधित किया ।

दो साल में विस ने तय किए विकास के नए सोपान : प्रमुख सचिव गंगराड़े

इसके पूर्व विधान सभा के प्रमुख सचिव चन्द्र शेखर गंगराड़े ने अपने स्वागत सम्बोधन में कहा कि- विधाान सभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के 2 वर्ष के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ विधान सभा ने राष्ट्रीय स्तर पर विकास के नये सोपानों को तय किया है, एवं उनके नेतृत्व में यह प्रक्रिया अनवरत् जारी रहेगी । उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया ।

धान खरीदी के मुद्दे पर गरमाई सियासत, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश भाजपा पर बरसे पीसीसी चीफ मरकाम

भाजपा नेताओं के फैलाए भ्रम से केंद्र ने दी सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन चावल की मंजूरी

पहले केंद्र ने दी थी सेंट्रल पूल में 60 लाख मीट्रिक टन खरीदने की सहमति

छत्तीसगढ़ से और चावल खरीदने के लिए केंद्र से करेंगे आग्रह

हेमंत धोटे

रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान खरीदी को लेकर प्रदेश भाजपा नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत प्रदेश के भाजपा नेताओं द्वारा धान खरीदी को लेकर भ्रम पैदा किए जाने कारण केंद्र ने 60 लाख मीट्रिक टन की जगह छत्तीसगढ़ का सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पुल में खरीदने की अनुमति दी है।

सोमवार को राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकाम ने कहा कि रमन सिंह समेत प्रदेश भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा केंद्र सरकार को बताया गया कि राज्य सरकार धान खरीदी पर बोनस दे रही है। जिसके कारण पहले तो केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन कर पूछा कि क्या राजीव गांधी किसान योजना के तहत बोनस दिया जा रहा है। वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से एफसीआई को छत्तीसगढ़ का सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की अनुमति दी है।

जबकि पहले केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल पुल में छत्तीसगढ़ का 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। मरकाम ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से प्रदेश भाजपा का चरित्र उजागर हो गया है। भाजपा के नेता नहीं चाहते कि किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। पीसीसी चीफने कहा कि हम केंद्र के 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी के फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि वह अपनी बात पर कायम रहते हुए छत्तीसगढ़ का 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे।

केंद्र के सवाल पर उठ रहे सवाल

मरकाम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर सवाल उठाना भी सवाल खड़े करता है। केंद्र सरकार एक ओर तो किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर किसानों को मदद करने पर वह सवाल-जवाब कर रही है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र को यह स्पष्ट कर दिया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बोनस नहीं बल्कि सहायता राशि दी जा रही है।

9 हजार करोड़ तो दूर एक रुपया भी नहीं मिला केंद्र से

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश भाजपा प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डी. पुरंदेश्वरी कहती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को धान खरीदी के लिए 9 हजार करोड़ रुपए दिए गए, जो पूरी तरह गलत है। हकीकत ये है कि केंद्र सरकार की ओर राज्य को धान खरीदी के लिए एक रुपया भी नहीं मिला है। मार्कफेड के जरिए धान खरीदी हो रही है।

आज जांजगीर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 02 जनवरी से बिलासपुर संभाग के दौरे पर हैं वे कल 5 जनवरी को जांजगीर-चांपा जाएंगे जहां वे लोकार्पण, भूमिपूजन एवं आमसभा सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 6 जनवरी को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल 5 जनवरी को निर्धारित कार्यकम के अनुसार कोरबा जिले के सतरेंगा से सुबह 10:30 बजे रवाना होकर से पाली तहसील के ग्राम पोलमी आएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 12.10 बजे जांजगीर-चांपा जिले के विकासखंड बलौदा के ग्राम औरईकला पहुचेंगे और यहां गौठान का निरीक्षण करेंगे तथा स्व सहायता समूहों से चर्चा के बाद 12.45 बजे विकासखंड नवागढ़ के ग्राम सरखों में धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण करेंगे।

उपाध्याय और ढेबर ने जोरा तालाब का किया भूमिपूजन

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। तालाबों के शहर रायपुर के एक और तालाब का सौंदर्यीकरण रायपुर स्मार्ट सिटी लि. द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज रायपुरा स्थित 'जोरा' तालाब सौंदर्यीकरण कार्य योजना का संसदीय सचिव एवं पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय और नगर पालिक निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर ने भूमिपूजन किया। इस अवसर पर एम.आई.सी. सदस्य श्री ज्ञानेश शर्मा, रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के महाप्रबंधक तकनीकी श्री एस.के. सुंदरानी, मैनेजर सिविल श्री एस.पी. साहू, जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव भी साथ थे। ज्ञात हो कि रायपुर स्मार्ट सिटी लि. शहर के तालाबों के उन्नयन की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में रायपुरा स्थित 'जोरा' तालाब के उन्नयन कार्य के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लि. ने कार्य योजना तैयार की है। 'जोरा' तालाब भूमिपूजन के अवसर पर संसदीय सचिव श्री उपाध्याय ने जनमानस को भरोसा दिलाया कि स्थानीय लोगों के अपेक्षानुसार तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आस्थाओं से जुड़े इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लि. ने लगभग 66 लाख रुपये की कार्य योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत तालाब में फुटपाथ, घाट, लाईटिंग, बेंच डस्टबिन, साईनेज, फेंसिंग एवं वृक्षारोपण, महिला चेंजिंग रूम कार्य को आगामी 8 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का बदला नाम

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय वैद्य सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की आदिवासी एवं स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को सहेजने और पूर्व की भांति प्रचलन में लाने के लिए हर्बल मेडिसिनल बोर्ड के गठन की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड को छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परम्परा एवं औषधि पादप बोर्ड के नाम से पुनर्गठित किया गया है। बोर्ड के गठन से राज्य के आदिवासी समुदाय की पारंपरिक एवं प्रचलित स्वास्थ्य परंपराओं तथा परंपरागत उपचारकर्ताओं के ज्ञान को सहेजने संवर्धित करने का काम तेजी से हो पाएगा। गठन उपरांत बोर्ड कार्यालय का नाम परिवर्तित हो गया है। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परम्परा एवं औषधि पादप बोर्ड रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि संस्था के कार्यों में वनौषधि के विकास के लिए शोध और अनुसंधान कराना, केन्द्रीय औषधि पादप बोर्ड या राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य के विभिन्न विभागों, संगठनों द्वारा क्रियान्वित, उपार्जन, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की योजना बनाना है।

संपादकीय

तारीख पर तारीख कब तक

नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत् किसानों और सरकार के बीच आठवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। समाधान के लिए अब 8 जनवरी की तारीख तय की गई है। समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक तारीख पर तारीख दी जाएगी और किसानों के आंदोलन को खत्म कराने में सरकार को कब सफलता मिल पाएगी जो इस कड़कड़ाती ठंड में भी हजारों की संख्या में सड़कों पर पिछले एक माह से भी ज्यादा समय से बैठे हुए है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में जो आशंका है उसे दूर करने के लिए केन्द्रिय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ किसान संगठनों के नेताओं की सात दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन बात इंच भी भी आगे नहीं बढ़ी है। किसान अभी भी एक सूत्रीय मांग पर अड़े हुए है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस लें, जबकि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। सरकार चाहती है कि इन कानूनों के हर पहलू पर बिंदूवार चर्चा हो और जो बातें किसानों को विसंगतिपूर्व लगती है उसमें सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है किन्तु किसान अपने रूख पर अड़े हुए है वे बिंदूवार चर्चा नहीं चाहते उनकी मांग है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं और जब तक सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक वे आंदोलन पर अडिग रहेंगे। किसान संगठनों ने 6 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की है और इसके बाद आंदोलन का और विस्तर करने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर किसान संगठन सरकार पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे है लेकिन सरकार भी इन तीनों कानूनों को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति में आठवें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा हाथ आएगा इसकी उम्मीद कम ही है। जब तक दोनों पक्षों के बीच आपसी सामंजस्य और सहमती नहीं बन पाएगी तब तक कोई रास्ता निकलना मुश्किल है। सरकार को चाहिए कि वह किसान संगठनों को विश्वास में लें और कोशिश करें कि आठ जनवरी को होने वाली बैठक में इस समस्या का समाधान हो और आगे की तारीख न मिलें।

विचार

कोरोना का टीका: खुश खबर

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

कोरोना महामारी को ध्वस्त करने का ब्रह्मास्त्र अब भारत के हाथ में भी आ गया है। कोरोना के दो टीके, जो भारत में ही बने हैं, अब शीघ्र ही जरुरतमंदों को लगने शुरु हो जाएंगे। 30 करोड़ लोगों के लिए जो इंतजाम अभी हुआ है, उसमें उन तीन करोड़ लोगों को यह टीका सबसे पहले लगेगा, जो डॉक्टर, नर्स और मरीज़ों की सेवा में लगे रहते हैं। ये सच्चे जन-सेवक हैं। इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है। अब भी ये लोग उत्साहपूर्वक देश की सेवा करते रहें, इसके लिए जरुरी है कि सबसे पहले इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जाहिर है कि हमारे नेता लोग चाहेंगे कि इन सेवाकर्मियों के भी पहले इस टीके से उन्हें कृतार्थ किया जाए लेकिन वे जरा अपनी तुलना इन डाक्टरों, नर्सों, वार्डबायों और मरीजगाड़ियों के ड्राइवरों से करके देखें। ये लोग जब अपनी जान की बाजी लगाए हुए थे, तब ज्यादातर नेता अपने-अपने घरों में दुबके हुए थे। वे भूखे लोगों को खाना बांटने में भी संकोच करते थे। हालांकि मेरी राय है कि यदि वे फिर भी यह टीका पहले लगवाना चाहें तो उन्हें यह सुविधा दे दी जाए लेकिन उनसे लागत से भी दुगुना-चौगुना पैसा वसूल किया जाए, जिसका इस्तेमाल उस टीके को मुफ्त बांटने में किया जाए। यह ठीक है कि करोड़ों लोगों को मुफ्त टीका देने में सरकार के अरबों रु. खर्च हो जाएंगे लेकिन यदि वह निजी अस्पतालों को यह छूट दे दे तो भारत में 30 से 40 करोड़ लोग उच्च और निम्न मध्यम वर्ग के ऐसे हैं, जो हजार-दो हजार रु. खर्च करके यह टीका ले सकते हैं। इसके कारण जो राशि सरकार को मिलेगी, वह मुफ्त टीका लगाने में तो इस्तेमाल होगी ही, मुफ्त टीकाकरण का बोझ भी हल्का होगा। सरकारी टीकाकर्मियों की संख्या सिर्फ सवा लाख है। इतने ही टीकाकर्मी निजी अस्पताल भी जुटा सकते हैं। 50 साल से ज्यादा उम्रवाले लगभग 50 करोड़ और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को यह टीका देने की तैयारी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने ठीक ढंग से कर रखी है। यदि जरुरत पड़ी तो सरकार विदेशी कंपनियों से भी दवाइयां खरीद सकती है। यों भी कोरोना का हमला भारत में आजकल बहुत धीमा पड़ता जा रहा है। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित यह टीका पश्चिमी टीकों के मुकाबले सस्ता और कम नखरेवाला है। यह भारत को तो महामारीमुक्त करेगा ही, पड़ौसी देशों और अफ्रीकी देशों की भी अपूर्व सेवा का अवसर भारत को प्रदान करेगा। भारत के लिए और एशिया-अफ्रीका के देशों के लिए नए साल की यह सबसे बड़ी खुश खबर है।

टेक ज्ञान-

Xiaomi Mi 10i 5G कल होगा भारत में लॉन्च

नई दिल्ली। Xiaomi भारत में कल अपना नया हैंडसेट Mi 10i 5G लॉन्च करने के लिए तैयार है। डिवाइस कंपनी की Mi 10 सीरीज का लेटेस्ट फोन होगा। अभी तक आए टीजर्स से पता चला है कि फोन को अपर-मिड-रेंज स्पेसिफिकेशन्स जैसे स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट और ब्रैंड न्यू 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च किया जाएगा।

कोरोना वैक्सीन यानी महामारी का अंत निकट

डॉ. श्रीनाथ सहाय

> जब तक देश की 80-90 करोड़ आबादी को टीके की दोनों खुराकें नहीं दी जातीं, तब तक 'हर्ड इम्युनिटी' का दावा फिजूल है। यदि इम्युनिटी नहीं होगी, तो वायरस से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुआ जा सकता। हालांकि आईसीएमआर ने ब्रिटेन से आ रही कोरोना की नई नस्ल को 'कल्चर' कर दिया है। यानी उसे बेअसर कर दिया गया है, लिहाजा उसका संकट भारत को परेशान नहीं कर सकता। वैक्सीन के विकास और उत्पादन के लिये भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता आदि बधाई के पात्र हैं। अब जल्द ही भारत कोरोना महामारी से मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ा देगा। वर्ष 2020 में कोरोना के चलते हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम मोर्चो पर जो चुनौतियां और संकट हमारे सामने खड़े हो गये थे, वैक्सीन आने के बाद वो तमाम परेशानियां खत्म होंगी। और देश पुनः प्रगति की राह पर सरपट दौड़ने लगेगा।

विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के बीच इससे अच्छी खबर कोई और क्या हो सकती है कि भारत सरकार ने एक नहीं, दो टीकों के आपात इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी है। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशें पर भारतीय औषधि महानियंत्रक ने अंतिम मुहर लग चुकी है। वैक्सीन को मंजूरी मिलते ही यह बात साफ हो गई है कि बीते लगभग एक साल से कोरोना संक्रमण के भय में जी रहे लोगों को राहत मिलने का समय आ गया है।?देशभर में चलाये जा रहे ड्राई रन अभियान इस बात का संकेत हैं कि इसी माह देश?में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जायेगा।?इसके लिये देशव्यापी मुहिम जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे 'गर्व का दिन' माना है। उन्होंने सभी 'योद्धाओं' और देश को बधाई दी है। बहरहाल ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, चीन से लेकर इजरायल, बहरीन, सऊदी अरब सरीखे देशों में टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है। इजरायल ने थोड़े से वक्त में ही अपनी 12 फीसदी आबादी को कोरोना टीका लगा दिया है।

अब सीरम इंस्टीट्यूट के 'कोविशील्ड' और भारत बायोटेक-आईसीएमआर के 'कोवैक्सीन' के जरिए उन 'योद्धाओं' में टीकाकरण की शुरुआत की जा सकेगी, जो बीते कई महीनों से कोरोना संक्रमित मरीजों के लगातार संपर्क में रहे हैं और उनका इलाज करते रहे हैं। ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के योद्धाओं की संख्या 3 करोड़ के करीब है। ?देश के पौने करोड़ हेल्थ वर्कर का डेटा राज्यों ने केंद्र को उपलब्ध कराया है। करीब 83 करोड़ सीरिंज का ऑर्डर दिया जा चुका है और 35 करोड़ सीरिंज के लिये निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। बीते साल के आखिरी दिन देश के कंट्रोलर जनरल ने संकेत दिया था कि नया साल खुशनुमा होगा क्योंकि हमारे हाथ में कुछ उत्साहवर्धक होगा,?जिसकी घोषणा नये साल के पहले दिन कर दी गई। दरअसल, सरकार की कोशिश है कि अगले करीब छह महीने के समय में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दे दी जाये। भारत दुनिया में सर्वाधिक संक्रमण वाला दूसरा देश

रहा है। ?एक करोड़ लोगों का संक्रमण के बाद ठीक होना हमारी उपलब्धि है। कोरोना संकट ने आम लोगों को बताया कि दुनिया में सर्वाधिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्वदेशी कंपनी है। यह हमारी ताकत भी है कि संकट के दौरान ही कंपनी ने रिस्क लेते हुए पांच करोड़ वैक्सीन तैयार कर ली है। कंपनी ने निर्णय किया है कि उसकी पहली प्राथमिकता भारत की जरूरतों को पूरा करना होगा। उसके बाद ही दक्षिण एशिया और अफ्रीकी देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की जायेगी। महत्वपूर्ण यह भी है कि यह वैक्सीन आम?आदमी के बजट में आने वाली सबसे सस्ती वैक्सीन है।?इसे भारत में संभव तापमान में रखा जा सकता है। जबकि फाइजर की वैक्सीन को माइनस सत्तर डिग्री सेल्सियस पर रखना अनिवार्य है जो भारत जैसे विकासशील देश में एक चुनौती होती। सस्ती होने के कारण ही सरकार की इस वैक्सीन से बड़ी उम्मीदें जुड़ी थीं ताकि कमजोर वर्ग तक इसे बड़े आर्थिक दबाव के बिना पहुंचाया जा सके। भले ही भारत की आबादी और विविधता के मद्देनजर कोरोना का टीकाकरण भी एक गंभीर चुनौती होगा, क्योंकि देश में सवाल उठाने वाले और आशंकाएं जताने वाले मूढ़ लोगों की संख्या भी कम नहीं है। भारत में चेचक, पोलियो, रुबेला, खसरा, काली खांसी, टेटनेस, हेपेटाइटिस-बी आदि 12 बीमारियों के टीकाकरण औसतन हर साल किए जाते हैं। विरोध पोलियो और चेचक सरीखे टीकों का भी किया गया था, जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को विकलांग होने और अंततः मौत से बचाया था। कोरोना वायरस महामारी की घातक, जानलेवा मार हम झेल चुके हैं। देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 1.50 लाख मौतें भी हुई हैं। बेशक अब संक्रमण का आंकड़ा 18,000 तक सिकुड़ चुका है और मौतें भी 200 के करीब आ गई हैं। यह स्थिति छह माह पुरानी-सी है। कोरोना वायरस को मात देकर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 99 लाख को पार कर चुकी है।

कोरोना वायरस के इस मंजर तक पहुंचने के बावजूद कोई इन टीकों को 'भाजपाई' करार दे अथवा नपुंसक होने तक का दुष्प्रचार करे, तो वह व्यक्ति देश-विरोधी है और वैज्ञानिक, चिकित्सकों के अनथक परिश्रम और मेधा का घोर अपमान कर रहा है। सोशल मीडिया की बकवास पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। यह देश लोकतांत्रिक है, लिहाजा जनता अपने आप ऐसे चेहरों को जवाब दे देगी। देश-विदेश के प्रख्यात चिकित्सक इन टीकों को पूरी तरह सुरक्षित और असरकारक मान रहे हैं। प्रख्यात हृदयरोग विशेषज्ञ डा. नरेश त्रेहन का मानना है कि टीके आनन-फानन में नहीं बने हैं। पूरा शोध और प्रयोग किए गए हैं। अब करोड़ों लोगों पर टीकाकरण किया जाएगा, तो टीके के प्रभाव और सुरक्षा के सवाल भी संबोधित हो जाएंगे। किसी दुर्लभ केस में टीके के स्थान पर सूजन आ सकती है, दर्द भी हो सकता है, सिर में चक्कर आ सकते हैं, थोड़ा बुखार भी महसूस हो सकता है। ये प्रभाव हमने और टीकों के भी देखे हैं, लेकिन यह टीका जो कीमती जिंदगी बचाएगा, उसकी तुलना 'संजीवनी' से ही की जा सकती है। इस टीके के विकास और उत्पादन में देश-दुनिया के डाक्टरों, अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। उन सब की मेहनत का नतीजा ये टीका है। इस टीके को इस सदी के बड़े चमत्कार के तौर पर देखा जाएगा। हमारे देश में टीके को लेकर विपक्ष के कुछ राजनीतिक दलों द्वारा फैलाये जा रहे भ्रम को देशवासियों को सिरे से नजरअंदाज करना चाहिए। विपक्ष अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिये जीवन प्रदान करने वाली वैक्सीन का दुष्प्रचार कर रहा है। बेहतर तो यही हो कि विपक्ष अपनी तुच्छ राजनीति से उभरकर देश के साथ कदमताल करे।

जन विमुख जनतन्त्र

डॉ अवधेश कुमार अवध

> जनतन्त्र
> जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन पद्धति है। सबसे आदर्श शासन प्रणाली। इसमें जन को छोड़कर सिर्फतन्त्र ही दिखता है। तन्त्र......धन का तन्त्र, बल का तन्त्र, दलदल का तन्त्र, जन से विमुख होकर भी जनतन्त्र बने रहने का कुटिल तन्त्र। जन को वोट मात्र समझने वाला तन्त्र। इस बार भी होगा। वह सब होगा। वही सब होगा जो होता आया है दशकों से। नई तकनीक में होगा। नए कलेवर में होगा। नयापन बीच में होगा जन और तन्त्र के। गोंद की तरह विमुख करके भी चिपकाये हुए। राष्ट्र अपनी शक्ति दिखाएगा। महामहीम राष्ट्रपति पूर्ववर्ती की भाँति सबसे बड़े जनतन्त्र, सबसे बड़े गणतन्त्र की टेर अलापेंगे। सबसे बड़ा जनतन्त्र का दावा सबसे बड़ी आबादी के कारण ही कायम है। कायम रहेगा भी। जनता तन्त्र से जुड़कर जनतन्त्र होने के लिए सतत, अबाध, अहर्निश सहयोग कर रही है। विश्वास मरा नहीं है। शायद अगली बार तन्त्र जन से पूरी तरह जुड़कर मुकम्मल जनतन्त्र हो जाए।

छब्बीस जनवरी को फिर से मनाया जाएगा गणतन्त्र दिवस। ठीक वैसे ही जैसे पाँच महीने पहले मनाया गया था स्वाधीनता दिवस। ये दोनों हमारे जन्म से बहुत पहले से मनाए जा रहे हैं। शायद आप भी न जन्में हों या नन्हें-मुन्ने रहे हों। सच की दस्तक भी नहीं जन्मा था। यकीनन नहीं जन्मा था। हमने सुना है लोगों से कि सच तो सनातन है, अजर- अमर है। अजन्मा है। ईश्वरीय है....और दस्तक? दस्तक भी आदिकालीन है। पुरा पाषाणकालीन है। तभी तो लोग पत्थर फेंककर जगाते थे। कंकड़िया मारकर उठाते थे।हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अंगुठी गिराकर दस्तक दी थी। रावण ने साधू के वेश में माँ जानकी के समक्ष दस्तक दिया था तो अंगद ने पाँव जमाकर रावण की लंका में। प्रेमी जोड़े कबूतर द्वारा पाती पहुँचाकर दस्तक देते थे, अब मोबाइल द्वारा इस नैसर्गिक कार्य को पूरा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सच और दस्तक दोनों आदकालीन हैं तो सच की दस्तक भी.....। देवर्षि नारद, गणेश शंकर विद्याथी या पराड़कर जी भी सच की दस्तक ही थे। सच की दस्तक सदैव होती रही है। सुकरात ने भी सच की दस्तक दी थी, ईशू ने भी, सत्य हरिशचन्द्र ने भी। सबको कीमत चुकानी पड़ी। पड़ेगी ही क्योंकि सच की दस्तक स्वयं में शिव है, सुंदर है, कल्याणकारी है, सर्वोच्च है। इसके लिए ही भगवान को आना पड़ा था रोहिताश्व को जिंदा करने। माँ शैव्या का आँचल पुत्र के कफ़न बनने से रोकने। कहते हैं न कि जितना बड़ा पद चाहिए, उतनी बड़ी परीक्षा पास करनी होगी। सच की दस्तक के लिए नीलकंठ बनना होगा, आशुतोष बनना होगा, चक्रवर्ती महाराज हरिश्चन्द्र से भंगी हरिश्चन्द्र बनना होगा। सच की दस्तक क्या है? यह सच का दस्तावेज है जो शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। इसे कोई देवेश, गणेश, या ब्रजेश सदैव अगली पीढ़ी को हस्तान्तरित करता रहेगा।

जनतन्त्र ने भी दस्तक दिया था किसी झरोखे से। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने देखा भी था। देखे होंगे। जरूर देखे होंगे। अम्बेदकर जी देखे थे। नेहरू जी समेत उनके सारे वंशज देखे थे। कुछ महीनों के लिए शास्त्री जी भी देखे थे। यह कन्हैया की चीर की तरह था जो पल भर के लिए द्रौपदी की लाज रख पाया। सत्तर से अस्सी के बीच यह भीष्म की तरह शरशैया पर था। आज की पीढ़ी शायद वेंटीलेटर कहना अधिक पसंद करे। वेंटीलेटर ही ठीक है क्योंकि यह जीवन से जोड़ सकता है। शरशैया तो मुक्ति की ओर ले जाती है। अपने कर्मों से, कुकर्मों से, सुकर्मों से। इसे पश्चाताप की शैया कहना भी उचित ही है। यह जीवन की सारी छोटी-बड़ी घटनाओं की रील को दुहराने की शैया है। तिल- तिलकर मृत्यु को पुकारने की शैया है।

अस्सी का दशक जनतन्त्र के लिए वेंटीलेटर पर रहने का समय था। आपातकाल ने इसके प्राण ही सोख लिए थे। यह मृतप्राय ही हो गया था। सांग होकर भी अनंग हो गया था। जयप्रकाश, लोहिया और राजनारायण ने सावित्री वट पूजा की। सतहत्तर में लौट आया जाता हुआ प्राण। तभी तो लोहिया जी को कहना पड़ा कि जब तक राजनारायण हैं, जनतन्त्र को जिंदा रहना ही पड़ेगा। जनतन्त्र बेचारा है बहुत नाजुक। छुई मुई की तरह। इसकी इज्जत और प्राण दोनों पर सदैव खतरा मँडराता रहता है। एक लोकोक्ति है न कि जिसकी लाठी, उसकी भैंस। यह आज भी उतना ही सच है जितना फिरंगियों के राज में। बस लाठी का स्वरूप बदला है। भला क्यों न बदले! तन्त्र बदलेगा तो शस्त्रास्त्र भी बदलेंगे ही। लॉर्ड इरविन के साथ हुए समझौते ने सब कुछ बदल डाला था। हम अपने शब्दों का अर्थ अंग्रेजों की डिक्शनरी में खोजने लगे थे। धीरे- धीरे इसके आदी भी हो गए। तभी तो भगत, शेखर, बिस्मिल सरीखे समस्त क्रांतिकारी उग्रवादी हो गए।

जनतन्त्र को दुनिया चाहे तो सौ - दौ सौ साल पुराना कह सकती है। पीछे पीछे हम लोग भी कह सकते हैं। कहते भी हैं। वैसे ही जैसे कौटिल्य को नकारकर ऐडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। वैसे ही जैसे बोधायन को नकारकर समकोण त्रिभुज प्रमेय का नियंता पाइथागोरस को कहते हैं। आज हम डंके की चोट पर एक बात कह देना चाहते हैं कि जनतन्त्र हमारे यहाँ बहुत पहले से आता - जाता रहता है। महाराज दशरथ ने भरे दरबार में पूछा था कि अगर सभी लोग सहमत हों तो राम को युवराज बनाया जाए। राजतन्त्र में एक सक्षम चक्रवर्ती राजा द्वारा अपने ही बड़े सुपुत्र को युवराज बनाने के लिए मत संग्रह का आह्वान करना ही तो जनतन्त्र है। महाराज दशरथ ने जनतन्त्र का पूर्णतः अनुपालन किया। यह आज के समय में भी महत्वपूर्ण है। ....लेकिन परिणाम! एक मात्र कैकेयी के विरोध ने जनतन्त्र को मटियामेट कर डाला। मटियामेट तो उस दिन भी हुआ था जनतन्त्र जब कांग्रेस में पट्टाभिसीतारमैया की हार या नेहरू की पराजय हुई थी। जनतन्त्र तो उस समय भी खून के आँसू रोया होगा जब एक व्यक्ति विशेष की मंशा पूरे देश पर भारी पड़ रही थी। भरत के भारत के बाप, चाचा, भाई, पुत्रादि गढ़े जा रहे थे। जनतन्त्र उस समय भी रौंदा गया था जब आजादी के बाद भी माउंटबेटन दम्पत्ति का भारतीय राजनीति में पूरा हस्तक्षेप था। हम इस यथार्थ को झुठला नहीं सकते कि भारतीय जनतन्त्र में कैकैयी के अनुयायी सदैव रहे हैं। मन्थरायें भी रही हैं। लोकतन्त्र और राजतन्त्र के बीच फँसकर जान गँवाने वाले दशरथ भी रहे हैं। वचनबद्ध पिता के चलते युवराज की दावेदारी से विमुख होकर वन जाने वाले राम भी रहे हैं। बड़ी कुर्सी ठुकराकर छोटी पर बैठते हुए भी बड़े से भी बड़ा दायित्व निभाते हुए अपने नाम ÷सरदार÷ को सार्थक कर रहे थे पटेल। अपनी अपनी डफली - अपना अपना राग वाले दलदल में शात्रीजी जैसे सपूत भी जो पाकिस्तान में अंगद-पाँव जमाने में सक्षम थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने अम्बेदकर के सपनों को जमीन पर उतारा। मनमोहन और मोदी भी। एक अति मौन दूसरा अति मुखर। देवगौड़ा और इन्द्रकुमार गुजराल भी सर्वोच्च दायित्व निभाने हेतु लाए गए।

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

ये दर्द की अनुभूति

ये दर्द की अनुभूति, ये वेदना.. कितना कठिन है.. मन की गाठें खोल कर दिखाना और फिर विवश जीवन को जीना जबकि ज्ञात है कि अनन्त तक चलते जाना है आत्मा और परम आत्मा मिलने और बिछुड़ने का चक्र कोई नहीं समझ पाया चले जा रहे हैं बस चलते जा रहे हैं चलते ही जाना है। **- चंद्र लता यादव**

तलाशती हूं एक

तलाशती हूं एक दोस्त जिसको रच के प्यार दूं खुशबुओं ओ रंगों की ये दुनिया उस पे वार दूं... वो मुझे , सिर्फ़मुझे और मुझे ही करे वो इश्क़ चाहतों के फ़लक से ज़मीं तक इख़्तियार दूं... वो मुझे भर निगाह देखता रहे यूं उम्र भर मैं बसा धड़कनों में प्यार उसे बार बार दूं... शर्त बस इतनी के उम्मीद न करे वो उस परे वो चाहे दिल संवार लूं,वो चाहे रूह निखार दूं... वो किताब-ए-हयात की ग़ज़ल बनके रहे ज़िंदा मैं 'कविता' का हरेक हर्फ़उसपर ही निसार दूं। **- कविता माथूर**

खास पाती | अभिनन्दन नव वर्ष का आइए

अभिनन्दन नव वर्ष का आइए मिल जुल करें। नव शक्ति उल्लास से सबको उल्लासित करें। नव सृजन नव चेतना नव दिवस की पहचान से, सृष्टि के कण- कण को अपने ज्ञान से सुरभित करें। पथिक बनें नवल पथ के सृजन के सुरभित कमल से, कोपलों को देकर आश्रय महिमा से मंडित करें। देश के हित के लिए जो खड़े सीना तान कब से , सरहद के उन शूर वीरों को सभी वंदन करें। खंड - खंड अस्मिता को देशद्रोही करते कब से, अक्षुण्य अपनी मातृ भूमि की कीर्ति को स्मरण करें। पाप अत्याचार आज बढ़ रहे नित दानवों से, शमन कर उन सभी का हम आहुति पावन करें। विश्व पटल पर तिरंगा अपना फहरे शान से छक्के दुश्मन के छुड़ा दें आज हम ये प्रण करें।- **डॉ दीपा संजय दीप**

मैं बीजेपी वाली वेक्सीन नही

मैं बीजेपी वाली वेक्सीन नही लगाऊंगा-टोंटी भईय्या??अरे टोंटी भाई बीजेपी के वेक्सीन का पहला डोज़ आपको 2017में ही डॉ योगी के द्वारा लग चुका है और दूसरा डोज़ 2022 में लगेगा।

- संजय परमार

टैक्स लगाके बजट का सरकारें

टैक्स लगाके बजट का सरकारें करती जुगाड़ फिर कमीशन के चक्कर में खरीदे सामान को करे कबाड़ यहां अफसर नेता के गहरे प्रेम का नही सानी मीडिया जनता लाख चिल्लाये इनको करना ही है मनमानी जब दिख जाये छुपे राज सरकार बदल जाती है फिर बनी नई सरकार पुरानी मे ही ढल जाती है।

- संत आर थवाईत

वक्त का पहिया कभी नही

वक्त का पहिया कभी नही थमता। आगे ही आगे बढ़ती जाती है। साँसों की रेल गाड़ी पीछे छूटते रहते है उम्र के स्टेशन। जिंदगी के सफर में दुःख के ठहराव आते है कभी -कभार सुख के जंक्शन भी।लेकिन सच कुछ और है, कि दुःख और सुख कुछ होता ही नही है। ऐसे ही वक्त अच्छा या बुरा नही होता।हम अपने मन में बुनते है ये ख्याल और वही महसूस करते है-बेहतर और खराब बक्त। **- हेमा पाण्डेय**

भारत ने आजतक आस्ट्रेलिया का

भारत ने आजतक आस्ट्रेलिया का कभी बुरा नहीं चाहा। लेकिन अकेले अखिलेश ने उसे पानी पिला दिया। अब कोई मां-बाप अपने बच्चे को पढ़ने वहां नहीं भेजेगा। बेचारे के ब्राण्ड इमेज का सत्यानाश कर दिया यादव ने। कहीं भारत पर मानहानि या मुआवज़े का दावा न ठोक दे आस्ट्रेलिया। **- पंकज कुमार झा**

नए साल के तोहफे में अगर किसी

नए साल के तोहफे में अगर किसी को कुछ देना ही है, तो उन रिश्तों को सहेजिये और समझिए जो आपको प्रेम करते हैं,,जबकि हम सारा एफर्ट उनके लिए लगा देते हैं जिन्हें हम प्रेम करते है,, और जो मुक्ति चाहते है उन्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दीजिए...! **- निशा रावल**

सभी मन में दिखे जब हर्ष समझो वर्ष नव

सभी मन में दिखे जब हर्ष समझो वर्ष नव आया।दिखे चहुँ ओर ही उत्कर्ष समझो वर्ष नव आया। कपट का भाव हट जाए, हृदय में प्रेम जग जाए- मिटे जब आपसी संघर्ष समझो वर्ष नव आया।।

- दिनेश रोहित चतुर्वेदी

QUIZ TIME

1) हाल ही में किस जिले में अरपा महवोत्सव का आयोजन किया गया था?

2) किस जिले में जिंक राइस की खेती की जाएगी?

3) राज्यपाल द्वारा हाल ही में गोद लिया गया सल्फीपदर नामक ग्राम किस जिले में है?

4) लंकापल्ली जलप्रपात किस जिले में है?

5) हाल ही में किसे बिजनेस लीडरशीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (2) बस्तर (3) कोण्डागांव (4) बीजापुर (5) बैजेंद्र कुमार

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1592 - मुगल शासक शाहजहां का लाहौर (अब पाकिस्तान में) में जन्म। 1659 - खाजवाह की लड़ाई में औरंगजेगब ने शाह शुजा को हराया। 1671 - छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सल्हर क्षेत्र को अपने कब्जे में किया। 1890 - प्रसिद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र मोहन टैगोर का निधन। 1900 - आयरलैंड के राष्ट्रवादी नेता जॉन एडवर्ड रेडमोंड ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। 1934 - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मुरली मनोहर जोशी का जन्म। 1941 - क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी का भोपाल में जन्म। 1955 - पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कलकत्ता (अब कोलकाता) में जन्म। 1957 - केंद्रीय ब्रिकी कर अधिनियम प्रभाव में आया। 1970 - चीन के यून्नान प्रांत में रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता वाले भूकंप से 15,000 लोगों की मौत। 1999 - विक्टर जॉय वे पेरू के प्रधानमंत्री मनोनीत किये गए। 2000 - अंतरराष्ट्रीय फुटबाल एवं सांख्यिकी महासंघ ने 'पेले' को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया। 2003 - अल्जीरिया में विद्रोहियों के हमले में 43 सैनिक मरे।2006 - भारत और नेपाल ने पारगमन संधि की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया। 2007 - तंजानिया की विदेश मंत्री आशा रोज मिगरो संयुक्त राष्ट्र की उपमहासचिव नियुक्त। 2008 - यूरोपीय संघ (ईयू) ने पाकिस्तान में चुनाव पर्यवेक्षण अभियान पूर्णरूप से शुरू किया। 2009 - नेशनल कांफेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

चिंगरापगार हत्या केस के पीछे की वजह थे अवैध संबंध व ब्लैकमेलिंग

- आरोपी ने कबूला जुर्म, बताया-मृतका के साथ थे अवैध संबंध, कर रही थी ब्लैकमेल

पत्नी व साले के साथ हत्या करने की बात कही, तीनों गिरफ्तार

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। गरियाबंद के ग्राम बारूका के चिंगरापगार जंगल में गाहंदर जाने वाली मार्ग किनारे पांच दिन पहले एक अज्ञात महिला का शव खून से लथपथ मृत अवस्था में मिली थी। जिसे देखने से प्रथम दृष्ट्या हत्या की आशंका जताई जा रही थी। गरियाबंद पुलिस की तत्परता व सूझबूझ से इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश हो गया है। मृतिका की पहचान छुपाने के लिए अज्ञात आरोपियों ने चेहरे, सिर के बाल और कपडों को सेनेटाइजर छिड़कर जलाने का प्रयास किया गया था। मामला अवैध संबंध एवं ब्लैकमेलिंग से जुड़ी हुई थी, जिससे तंग आकर आरोपी युवक ने महिला को अपने रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची। पुलिस जांच में सामने आया कि इस जघन्य हत्या को आरोपी युवक अपने पत्नी एवं डेढ साला के साथ मिलकर अंजाम दिया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं पुलिस की कामयाबी पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने थाना कोतवाली की टीम को पांच हजार रूपए से पुरस्कृत किया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक तफ्तीश में सामने आया कि इस अंधे कत्ल की घटना दो जिलों से संबंधित था, वहीं इसे अंजाम देने में दो परिवार के सदस्य शामिल थे। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने पत्रकारवार्ता में बताया कि पुलिस की सूझबूझ से अज्ञात महिला के अंधे कत्ल का पर्दाफाश हो गया है। मृतिका अज्ञात एवं आरोपी अज्ञात होने से पुलिस के सामने एक चुनौती थी, वहीं गरियाबंद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय रहते महिला की पहचान करने का भी था, जिसे तत्परता से सुलझाया गया। पुलिस अधीक्षक श्री पटेल ने घटना के संबंध में बताया कि गरियाबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बारूका के चिंगरापगार जंगल में गाहंदर जाने वाली पगडण्डी मार्ग किनारे एक अज्ञात महिला जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 वर्ष का शव खून से लथपथ मृत अवस्था में मिली थी। उन्होंने बताया कि मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, उप पुलिस अधीक्षक टीआर कंवर और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद संजय ध्रुव के साथ थाना स्टाफ पहुंचे हुए थे। जहां घटनास्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रथम दृष्ट्या अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या किए जाने का लगा। थाना सिटी कोतवाली गरियाबंद में अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302, 201 भादवि का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक श्री पटेल ने आगे बताया कि सभी सोशल मिडिया प्लेटफार्म में मृतिका की सूचना प्रसारित करवाया गया, जिसके आधार पर ग्राम बेलौदी थाना मगरलोड़ जिला धमतरी निवासी ईश्वर साहू ने मृतिका को अपनी पत्नी ममता साहू के रूप में पहचान की गई। श्री पटेल ने बताया कि मामले में बेसिंग पुलिस का ज्यादातर सहयोग लिया गया। महिला की पहचान होते ही पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई और गरियाबंद पुलिस अलग-अलग टीम बनाकर ग्राम बेलौदी एवं आसपास के गांव में एक से डेढ़ दिनों तक डेरा डालकर संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखतें हुए सभी पहलुओं पर बारिकी से जांच भी कर रही थी। बताया कि पुलिस जांच में मृतिका ममता साहू का गांव के पुरूषोत्तम साहू के साथ विगत् एक वर्ष से अवैध संबंध था। जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने पुरूषोत्तम साहू से बारिकी से सिलेसिलेवार पुछताछ की गई, जिसमें उसने जुर्म स्वीकार किया। गांव के ममता साहू के द्वारा अवैध संबंध होने के एवज में लगातार रूपए, गहने की मांग करने लगी और युवक के द्वारा नहीं देने पर समाज में बदनाम करने की धमकी देने लगी।

श्री पटेल ने आगे बताया कि ब्लैकमेल से तंग आकर आरोपी पुरूषोत्तम साहू अपनी पत्नी धनेश्वरी साहू को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों पति-पत्नी ने ममता साहू को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई। वहीं 29 दिसंबर को पुरूषोत्तम साहू ने ममता साहू को चिंगरापगार घुमने जाने के लिए राजी किया और अपनी पत्नी धनेश्वरी साहू को अपने डेढसाला लक्ष्मण साहू निवासी कोपरा के साथ चिंगरापगार जंगल बुलाया। जिसके बाद पुरूषोत्तम साहू, धनेश्वरी साहू और लक्ष्मण साहू योजना के मुताबिक ममता साहू को पकड़कर जमीन में पटक दिया। मुख्य आरोपी पुरूषोत्तम मृतिका के सीने मं बैठकर और लक्ष्मण साहू मृतिका के मुंह व सिंर को दबाकर पकड़ा, वहीं आरोपिया धनेश्वरी साहू मृतिका के पैर को दबाकर पकड़ी थी। इसी दौरान मुख्य आरोपी पुरूषोत्तम ने पास में रखे धारदार चाकू से मृतिका के गले को रेतकर व घोंपकर हत्या कर दिया। इसके बाद मृतिका की पहचान छुपाने के लिए सैनेटाइजर को चेहरा, सिर और कपड़ा में डालकर माचिस मारकर जलाया गया। श्री पटेल ने बताया कि तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल, खून लगे कपड़े, जुते, मृतिका ममता साहू के मोबाईल फोन और पर्स को आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया है।

ग्राम करहीभदर में बिना लाइसेंस के खरीदी- बिक्री कर रहे मवेशी व्यापारी

- करहीभदर ग्राम पंचायत की रशीद को चारामा ब्लॉक के कसावाही और डौंडी ब्लॉक के आमाडुला में किया जा रहा इस्तेमाल, सरपंच के द्वारा वहां जाकर काटी जा रही रशीद, की जा रही अवैध वसूली-

नवप्रदेश संवाददाता

बिना अनुमति किया जा रहा मवेशी बाजार का संचालन

बालोद। जिले के सबसे विवादित ग्राम पंचायत करहीभदर और सरपंच ओंकार साहू की कार्यप्रणाली फिर से सुर्खियों में हैं। ग्राम करहीभदर में लगने वाले मवेशी बाजार को बिना जिला प्रशासन की अनुमति के संचालन किया जा रहा हैं। प्रत्येक मंगलवार को लगने वाले मवेशी बाजार ने सरपँच ओंकार साहू के द्वारा भिलाई के कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर स्वयं मवेशी की खरीदी बिक्री करने वाले व्यापारियों से वसूली की जा रही हैं। इतना ही नही सरपँच ओंकार साहू के द्वारा चारामा ब्लॉक के कसावाही और डौंडी ब्लॉक के आमाडुला में जाकर ग्राम पंचायत करहीभदर की रशीद को इस्तेमाल किया जा रहा हैं। ग्राम कसावाही और आमाडुला के मवेशी व्यापारियों को डरा धमकाकर अवैध रूप से वसूली की जा रही हैं। ग्राम कसावाही के एक व्यापारी ने नाम ने छापने की शर्त में बताया कि बालोद जिले में स्तिथ ग्राम पंचायत करहीभदर के रशीद बुक को यहां लाकर वसूली की जा रही हैं। पैसे नही देने पर पुलिस से कार्यवाही करवाने धमकी दी जाती हैं। व्यापारी ने आगे बताया कि ग्राम पंचायत करहीभदर के रशीद को कसावाही और आमाडुला में इस्तेमाल करना समझ से परे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि मवेशी व्यापारियों के पास खरीदी बिक्री का लाइसेंस भी नही हैं। अवैध रूप से मवेशी खरीदी बिक्री का काम चल रहा हैं। उल्लेखनीय हो कि ग्राम करहीभदर में ठेका पद्धति से मवेशी का सबसे बड़ा बाजार लगाया जाता हैं। नीलामी के माध्यम से ठेकेदार के द्वारा यहां का बाजार संचालन के लिए लिया जाता हैं। परन्तु कोरोना काल को मद्देनज़र रखते हुए मवेशी बाजार को बंद किया गया था। लेकिन सरपँच की मनमानी और अड़ियल रवैय्ये के चलते बाजार शुरू कर दिया गया हैं। मनमानी पूर्वक सरपँच ओंकार साहू, भिलाई के कुछ असामाजिक तत्व व कुछ पंचगणों के द्वारा ग्राम पंचायत की रशीद का इस्तेमाल कर अनाप शनाप वसूली की जा रही हैं। बिना लाइसेंसधारी मवेशी व्यापारियों से भी पंचायत की रशीद से वसूली की जा रही हैं। वही बताया गया हैं कि रशीद में सरपंच के हस्ताक्षर भी फर्जी हैं।

अजय वारे और दिग्विजय वारे ने बढ़ाया नवागढ़ क्षेत्र का मान

नवागढ़। ग्राम- सुरकी(नवागढ़) निवासी सुरसेन वारे के दोनों सुपुत्रों ने नवागढ़ क्षेत्र को गौरवान्वित किया। अजय एवं दिग्विजय वारे ने इस वर्ष आयोजित एनटीए नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा)की हिन्दी विषय मे सफलता प्राप्त की।दिग्विजय वारे ने नेट के साथ जुनियर रिसर्च फिलोशिप की पात्रता प्राप्त की। इससे वे देश के किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है। 2018 से सेट उत्तीर्ण दिग्विजय के लिए यह उपलब्धि नवागढ़ क्षेत्र साथ- साथ शासकीय कोदुराम दलित महाविद्यालय नवागढ़ एवं समाधान महाविद्यालय बेमेतरा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और दोनों ही कालेज के स्टॉफ ने इनके उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया ।

राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण महाअभियान की हुई शुरुआत

- बालोद नगर में 13 जनवरी को बाइक रैली 14 जनवरी को शोभायात्रा तो 15 से 30 जनवरी तक निधि समर्पण अभियान की शुरुवात

नवप्रदेश संवाददाता

बालोद। जैसे की सर्वविदित है की आयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है ,जिसमे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे भारत से मंदिर के निर्माण हेतु निधि समर्पण की शुरुवात होने जा रही है ,निधि समर्पण प्रत्येक हिन्दू परिवार से उनकी स्वेछा अनुसार समर्पण ले कर अयोधया में भगवान राम जी का भव्य निर्माण किया जाएगा।

इसी कड़ी में बालोद शहर में भी इस अभ्यांन को भव्यता प्रदान करने के लिए सर्व समाज,सभी राजनीतिक दल ,सभी गणेश उत्सव समिति ,दुर्गाउत्सव समिति व राम भक्तो को इस महाभियान को सफल बनाने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी ,जिसमे सभी ने अपनी अपनी राय रखी व यह निर्णय लिया कि, बालोद नगर के सभी स्थानों को सजाया जाएगा,13 जनवरी को शाम 4 बजे बाइक रैली निकलेगी ,14 तारीख को 4बजे भगवान राम की भव्य शोभायात्रा, बालोद के सभी प्रमुख स्थानों से होकर गुजरेगी और 15 जनवरी से 30 जनवरी तक निधि संकलन किया जाएगा ,

निधि सकलन के विषय मे इस अभ्यांन के बालोद जिला के कोषाध्यक्ष प्रशांत पवार ने बताया की इस अभ्यांन मे समर्पण हेतु 10 रुपये का कूपन 100 रुपये का कूपन तथा 1000 रुपये का कूपन मिला है ,जिसको जैसे अपनी स्वेछा हो समर्पण कर सकता है, इससे अधिक राशि के लिए आप सीधे ही राम मंदिर को डिजिटल पेपेन्ट कर सकते है या फिर समिति द्वारा निर्धारित व्यक्तियों को अपना समर्पण दे सकते हैं,

बालोद नगर में अभ्यांन प्रमुख के तौर पर लीलाधर साहू ,कमलेश सोनी सह अभ्यांन प्रमुख ,धीरज चोपड़ा ,एकांत पवार,दीपक यादव ,दीपक सामटकर,शरद ठाकुर , कोष प्रमुख योगेश साहू ,दीपक यादव को दायित्व दिया गया है।

'एक रुपया, एक पायली धान देकर बढ़ाएं किसानों का मान'

रायपुर। कल दिनांक 05/01/21 को एक रुपए, एक पैली धान देकर बढ़ाई किसानों का मान एनएसयूआई द्वारा पीसीसी के निर्देश पर दिल्ली में 27 नवंबर से आंदोलन कर रहे तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिन-रात बैठकर संघर्ष कर रहे हैं उनको सहयोग करने के लिए एनएसयूआई द्वारा पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत प्रदेश के किसानों को एनएसयूआई द्वारा जागरूक किया जाएगा और एनएसयूआई के माध्यम से दिल्ली में संघर्ष कर रहे किसानों की मदद की जाएगी। कार्यक्रम के तहत एनएसयूआई के पदाधिकारी पूरे प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्र जाकर किसानों से गुजारिश करेंगे कि दिल्ली संघर्ष कर रहे हैं किसान की मदद करने के लिए किसानों द्वारा ?1 एवं एक पैली धान किसानों की मदद करें इसी मुहिम के साथ कल से लगातार 4 दिन तक एनएसयूआई के सारे पदाधिकारी धान खरीदी केंद्र जाकर किसानों से समर्थन की मांग करेंगे।।

कार्यक्रम की रूपरेखा

- केंद्रों पर टेबल, कुर्सी, रजिस्टर (एंट्री करने हेतु), सील बॉक्स (धन एकत्रित करने हेतु), झण्डा, पम्पलेट एवं बैनर की व्यवस्था करना।
- किसान आंदोलन में समर्थन स्वरूप किसान से न्यूनतम एक रुपये एवं एक पैली/काटा धान लेना हैं।
- विभिन्न केन्द्रो में प्रतिदिन विभिन्नरूप के कार्यक्रम का आयोजन करना है।
- 05 जनवरी से 09 जनवरी तक प्रत्येक केंद्रों पर पदाधिकारीयों को ज़िम्मेदारी देकर, प्रतिदिन रिपोर्ट लेकर प्रदेश मुख्यालय भेजना हैं।
- 10 जनवरी को प्रत्येक केंद्रों/ब्लॉकों से एकत्रित कर, समस्त धान एवं धन को प्रदेश मुख्यालय भेजना हैं।

दो साल पूरे होने पर भी अधूरे हैं कांग्रेस सरकार के कई वादे : अमित

2023 के चुनाव को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भरा जोश

- प्रदेशाध्यक्ष का युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया आत्मीय स्वागत

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कई वायदे जनमानस से किए थे, लेकिन आज दो वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस झूठ बोलकर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई है, महिलाएं, युवा, किसान भाई सहित आमजनता को इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है। उक्त बातें भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने अपने प्रथम गरियाबंद नगर आगमन के दौरान गांधी मैदान स्थित स्थानीय मंगल भवन में आयोजित युवा मोर्चा के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है।

युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री साहू ने कहा कि 2003 के पूर्व तीन सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राज्य के खजाने को खाली कर दिया था। उसके बाद प्रदेश में भाजपा की डॉ. रमन सिंह की सरकार बनी, जिन्होंने अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ का ध्येय लिए विकास के कई सोपान तय किए। लगातार 15 वर्षो तक छत्तीसगढ़ में कई विकास कार्य हुए हैं, आमजनताओं के जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं बनाई गई। वहीं भाजपा की सरकार ने दुर्गम वनांचल क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में काबिज है। श्री साहू ने युवा मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज विकास कार्य ठप पड़े हैं, योजनाएं बंद पड़ी है।

प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने जिले के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में हुंकार भरते हुए कहा कि युवाओं को राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। कारण कि युवा और महिलाओं के साथ कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है। इसका सबक जनता आने वाले समय में जरूर सिखाएगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठ बोलकर सरकार में आई है, महिला, युवा, किसान भाइयों सहित आमनागरिकों से इन्होंने झूठ कहा है। निश्चित ही आने वाले दिनों में भाजपा के समस्त कार्यकर्ता इनकी झूठ को आमजनता के बीच ले जाकर सड़क की लड़ाई लड़ेगी और पुनः 2023 के चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।

कार्यक्रम को भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश साहू, महामंत्री अनिल चंद्राकर, मुकेश दासवानी ने भी संबोधित किया।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400020

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री देवधर प्रसाद आ. रामरतन निवासी बोरसी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 248/129 रकबा 0.026 हें/ 2800 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

(मुहर) **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पंकज कुमार रामटेके पिता धन्नालाल रामटेके साकिन सिविक सेंटर भिलाई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की क्रयशुदा भूमि ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 676/44 मे से रकबा 0.014 हें भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.12.2020 के आधार पर विक्रेता धन्नालाल रामटेके पिता स्व. सुखराम रामटेके के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 08.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 26.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

(मुहर) **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन
ई-कोर्ट	श्री दिनेश कुमार	रजिस्ट्रेशन नं. 202012100400585

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री दिनेश कुमार आ. श्री बेलसराम नागवंशी निवासी आशीष नगर रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	864/2	0.022 हें 2320 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

(मुहर) **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400285

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री टेकसिंह बंजारे आ. रामजी बंजारे निवासी हथखोज पारा उतई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम डुमरडीह प.ह.न. 41 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 553/10 रकबा 0.0380 हें/ 4125 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

(मुहर) **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400515

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री शंभू मिश्रा पिता आर.एस. मिश्रा निवासी मरोदा टैंक भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 94/24 रकबा 0.015 हें/ 1643 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

(मुहर) **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400599

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री राजूलाल देवांगन आ. भीखमलाल देवांगन निवासी शक्ति नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 604/7 रकबा 0.011 हें/ 1200 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

(मुहर) **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400598

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री राजूलाल देवांगन आ. भीखमलाल देवांगन निवासी शक्ति नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 690/40 रकबा 0.012 हें/ 1260 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

(मुहर) **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400309

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री कमल पाठक आ. एल.पी. पाठक निवासी गणेशपुरा मुरैना जिला मुरैना द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न. 17/08 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 45/64 रकबा 0.014 हें/ 1537.5 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

(मुहर) **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400546

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री भूपेश्वर कुमार आ. रायभान साहू निवासी बोदल गुण्डरदेही द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 241/119 रकबा 0.022 हें/ 2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

(मुहर) **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

राजेश नेताम को केशकाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की जिम्मेदारी

नवप्रदेश संवाददाता

केशकाल। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पी.एल. पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहमति से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा रविवार को प्रदेश के समस्त नगर/ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के नियुक्ति की सूची जारी की है। जिसमे केशकाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में राजेश नेताम को जिम्मेदार सौंपी गई है। वहीं प्रवीण अग्निहोत्री को धनोरा, हीरालाल नेताम को बड़ेराजपुर, और दिनेश जायसवाल फरसगांव को पुनः ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाये गए हैं।

बता दें कि राजेश नेताम इससे पहले संगठन में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व इंटक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर चुके है उन्हें संगठन का काफी अनुभव है। वहीं प्रवीण अग्निहोत्री, हीरालाल नेताम, दिनेश जायसवाल, इससे पहले भी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पदस्थ थे। जिसके बाद आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन के चारों पदाधिकारियों को ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसके लिए राजेश नेताम प्रवीण अग्निहोत्री , हीरालाल नेताम, दिनेश जायसवाल को अध्यक्ष बनने पर केशकाल विधानसभा के सभी लोगो के बीच खुशी का लहर है एवं विधानसभा के समस्त नेताओं श्रीमति फूलोदेवी नेताम सांसद राज्सभा, रवि घोष महामंत्री कांग्रेस कमेटी , अमीन मेमन प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी, महेन्द्र नेताम अध्यक्ष जनपद पंचायत केशकाल, रोशन जमीर खान अध्यक्ष नगर पंचायत केशकाल, पिताम्बर नाग जिला अध्यक्ष एनएसयूआई कोंडागांव, अनिल उसेण्डी पार्षद नगर पंचायत केशकाल, अगनु मण्डावी, जनपद सदस्य, दयानंद कुंजाम, राकेश कुंजाम, डीगम्बर कुलदीप, सुरेश कोर्राम,सरादु नाग, सतीश नाग, रोहित नाग, राजू सिन्हा संतरे कोरचा, नरेश नेताम , सभी ने चारों को अध्यक्ष बनने पर बधाई दिये।

गौरघाट जलप्रपात में डूबे युवक का नहीं मिला शव, दूसरे दिन भी चला रेस्क्यू ऑपरेशन

- कलेक्टर द्वारा गठित निगरानी दल की तैनाती के बावजूद अनदेखी से गौरघाट में हुआ हादसा

नवप्रदेश संवाददाता

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड स्थित गौरघाट जलप्रपात में रविवार को दोपहर पश्चात एक दुःखद हादसा हो गया। गौरघाट पिकनिक मनाने गए पटना निवासी एक युवक की पानी मे डूबने से मौत हो गयी। रविवार की देर शाम तक युवक का शव पानी से नही निकाला जा सका था। आज सोमवार को अम्बिकापुर से आने वाली टीम द्वारा एक बार पुनः रेस्क्यू कार्य किया गया किन्तु खबर लिखे जाने तक युवक का शव नही निकाला जा सका था जहा अम्बिकापुर से दूसरे रेस्क्यू टीम को बुलाने की मांग परिजनों द्वारा किया गया । घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर कोरिया, पुलिस अधीक्षक व एसडीएम सोनहत प्रशांत ठाकुर मेडिकल व रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे।

विदित हैं कि गत 28 दिसम्बर को कलेक्टर कोरिया एस एन राठौर ने नववर्ष पर 3 जनवरी तक के लिए धार्मिक व पर्यटन स्थलों के सतत निरीक्षण एवं निगरानी तथा कानून व्यवस्था लोक सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य, व सुरक्षा बनाये रखने के संबंध में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के सयुंक्त निगरानी दल का गठन कर उनकी तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।किन्तु अधिकारियों की अनदेखी से सुरक्षा में चूक की बात कही जा रही वही यदि सुरक्षा थी तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। जो कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक को दर्शाता है !

मिली जानकारी के अनुसार पटना थानाक्षेत्रांर्गत चम्पाझार निवासी 22 वर्षीय युवक अभय पाण्डेय पिता अशोक पाण्डेय रविवार की सुबह अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने सोनहत विकासखंड स्थित गौरघाट जलप्रपात गया हुआ था। जहां वे जलप्रपात के नीचे बालू में फुटबॉल खेल रहे थे। इसी दौरान बॉल

पानी में चली गई जिसे लेने के लिए अभय पानी में उतरा और गहराई में चले जाने से पानी में डूब गया। घटना के बाद इसकी जानकारी उसके साथ गए दोस्तों ने अपने संपर्क वालों को दी। जिसके बाद युवक के परिजन भी गौरघाट के लिए रवाना हो गए थे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को जब घटना की खबर मिली तो वे भी मेडिकल व रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे।

रविवार की देर शाम तक नगरसेना के गोताखोरों द्वारा पानी में डूबे युवक की तलाश की जा रही थी। घटना स्थल पर पानी की गहराई ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू कार्य नही हो सका। जिसके बाद अम्बिकापुर से रेस्क्यू दल को बुलाने का निर्णय लिया गया।जहा सोमवार को भी शव निकालने में देर शाम तक सफलता नही मिली गौरतलब है कि सोनहत ब्लाक व जनपद के अधिकारी-कर्मचारी भी रविवार को गौरघाट पिकनिक मनाने पहुंचे थे । जिसके कारण प्रशासनिक अधिकारियों को घटना की तत्काल जानकारी हो गयी व रेस्क्यू कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

निगरानी दल की तैनाती के बाद भी हो गया हादसा

उल्लेखनीय है कि गत 28 दिसम्बर को कलेक्टर कोरिया एस एन राठौर द्वारा नववर्ष पर 3 जनवरी तक के लिए धार्मिक व पर्यटन स्थलों के सतत निरीक्षण एवं निगरानी तथा कानून व्यवस्था लोक सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा बनाये रखने के संबंध में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के सयुंक्त निगरानी दल का गठन कर उनकी तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हो गया। जो कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि संबंधित व लापरवाह सयुंक्त निगरानी दल पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है? कलेक्टर कोरिया द्वारा गठित कार्यपालिक दण्डाधिकारी की अलग अलग टीम जो प्रमुख पर्यटन स्थल पर 3 जनवरी तक शांति व्यवस्था बनाने तैनात थी। उनमें झुमका बोट क्लब, वेस्ट वियर एवं ऑक्सीजोन पर्यटन स्थल पर तहसीलदार ऋचा सिंह, सिटी कोतवाली प्रभारी के के शुक्ला एवं आबकारी उप निरीक्षक विजिता रानू भगत की ड्यूटी लगी थी। अमृतधारा जलप्रपात पर्यटन स्थल पर नायब तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ विप्लव श्रीवास्तव, पुलिस चौकी नागपुर प्रभारी सुबल सिंह एवं आबकारी उपनिरीक्षक वेद प्रकाश इन्दुआ को लगाया गया था जब कि गौरघाट एवं बालम पहाड़ पर्यटन स्थल पर नायब तहसीलदार विभोर यादव, थाना सोनहत प्रभारी जेआर बंजारे एवं आबकारी उपनिरीक्षक विजिता रानू भगत की ड्यूटी लगी थी। वहीं जटाशंकर गुफा पर्यटन स्थल पर नायब तहसीलदार केल्हारी राममिलन शर्मा, थाना केल्हारी प्रभारी जनक राम कुर्रे एवं आबकारी उपनिरीक्षक वेद प्रकाश इन्दुआ की टीम निगरानी करने तैनात थी।

जोगपाल पब्लिक स्कूल में सावित्री बाई फुले को दी गई श्रद्धांजलि

नवप्रदेश संवाददाता

पत्थलगाँव। महान शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले की वर्षगाँठ के अवसर पर एक विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गईद्य जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में रायगढ़ सरकारी स्कूल की शिक्षिका श्रीमती उषा पटेल को आमंत्रित किया गयाद्य सामूहिक प्रार्थना के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर उनके शब्दों से कार्यक्रम की शुरुआत की गईद्य श्रीमती उषा पटेल ने सावित्रीबाई के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए समाज के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान के बारे में बताया और अंत में एक सुनहरा संदेश देते हुए कहाः- जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षित होता है परंतु जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है÷द्य प्राचार्य टी. अरुल राज ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा- माँ सावित्री बाई फूले न केवल एक महान समाज सुधारक अपितु भारत की प्रथम महिला शिक्षिका भी थी जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआद्य महिला अधिकार के लिए संघर्ष करने वाली सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए एक कई केंद्र स्थापित किए और पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कियाद्य उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा पर कई उल्लेखनीय कार्य किए एवं लगभग 18 स्कूलों की स्थापना की पीड़ितों की सेवा करते हुए 10 मार्च 1897 में वह गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई और हमने उस महान समाजसेवी का को खो दियाद्य प्राचार्य टी.अरुल राज ने आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दी और अंत में मुख्य अतिथि द्वारा वहाँ उपस्थित शिक्षिकाओं को मुख्य अतिथि द्वारा शाल देकर सम्मानित किया गया।

सूरत में फंसी दो युवतियों को रेस्क्यू कर लाया गया वापिस

भाजपा प्रदेश मंत्री एवं जशपुर पुलिस प्रशासन सहित जशपुर के तीन युवकों के साथ मीडियाकर्मियों की सफल पहल

नवप्रदेश संवाददाता

पत्थलगांव। गुजरात के सूरत में फँसी दो लड़कियों को रेस्क्यू कर वापस ले आया गया है। इन दोनों लड़कियों को वापस लाने के लिए 4 दिन पहले दुलदुला थाने के एक एसआई व महिला आरक्षक सहित 4 लोगो की टीम सूरत रवाना हुई थीद्य पुलिस टीम के साथ पीड़ित युवतियों के पिता भी सूरत गए थे।शुक्रवार को दोनो लड़कियां सकुशल वापस लौट आयीं ।

ये दोनों लड़कियां मनोरा अम्बाकोना की रहने वाली है। 3 माह पहले तपकरा क्षेत्र की एक और युवती और साथ मे दोनो युवतियों को अच्छे काम का लालच देकर किसी प्रियंका नाम की लड़कीं के द्वारा सूरत भेज दिया गया था लेकिन वहाँ जाने के बाद इन्हें किसी होटल मालिक के घर मे इन्हें काम करने रखा गया और यहाँ इन्हें बंधक की तरह रखा जाता था ।उपर से घर मालिक की भी नियत पर युवतियों को शक हो रहा था ऐसे में उन्होंने वहां काम करना मुनासिब नही समझा और मालिक से जब घर जाने की छुट्टी मांगी तो उन्हें छुट्टी देने से मना कर दिया गया साथ ही साथ उन्हें घर पर फोन करने पर भी रोक लगा दी गयी।आखिरी में एक युवती ने व्हाट्सएप्प के स्टेटस में अपने मोबाईल कोटेक्ट के मित्रों से मदद की गुहार लगाई तो इनकी मदद करने मनोरा के ऋषिकांत नाम के एक युवक सामने आया और इनकी मदद करनी शुरू की ।इसके साथ जशपुर के रहने वाले भाजपा मंडल प्रभारी दीपू मिश्रा और राहुल गुप्ता जी ने भी इनकी मदद करते हुए गुजरात महिला डेस्क से सम्पर्क किया।

न्यूज गैलरी

नारी शक्ति महिला समूह की सदस्यों ने गांव में अवैध शराब बिक्री रोकने चलाया अभियान

खरोरा। आज ग्राम पंचायत लावर भाटापारा में आवेध शराब बी क्री पर रोक लगाने हेतु वार्ड क्रमांक 9,एवं 10 ,की पंच तुलेश्वरी पाल ,ललिता ध्रुव एवम् उपसरपंच श्री मति पोषण देवी द्वारा महिला समूह के सदस्य , अध्यक्ष को लेकर अभियान चलाकर नया साल में नई सोच की साथ एक आखरी चेतावनी दी ,तथा आगे ऐसे नई करने की समझाइश देकर ,गाव की आशंती को शांति बनाए रखने की अपील की ,जिसकी सहयोग में शराब बिक्री करने वाला व्यक्ति भी हामिया भरी और आगे ऐसे नई करनी की बात मान ली। जिसकी श्रेय नारी सत्ती महिला समूह के सदस्य ,श्री मति श्यामा ध्रु व , अध्यक्ष जानकी सेन, मोंगरा ध्रुव उमा पाल दुर्गा ध्रुव, देवती ध्रुव ,साविता ध्रुव, प्रेमिंन ध्रुव ,कुन्ती ध्रुव बिमला ध्रुव , दुलारा ध्रुव ,कांति ध्रुव आनुपा यदु इत्यादि महिला समूहों ने साथ देने की बात पार सहमति देकर गांव की शान्ति के लिए हमेशा आगे रहने को सहमति दी है

बिना बताए रिश्तेदार के घर रात बिताने पर पत्नी ने की पिटाई, पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंचा पति

डौंडी। बालोद जिले के डौंडी थाना क्षेत्र से एक बड़ी ही शर्मनाक खबर आ रही है जहाँ एक और हमारे देश मे पति की भगवान मान कर पूजा की जाती है तो दूसरी और डौंडी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढेमाबुजुर्ग के आश्रित ग्राम बरबट्टीपारा में पत्नी ने अपने ही पति को रिश्तेदार के घर रात रुकने के नाम पर रस्सी से बाँध कर पिट दिया और अश्लील गालियां दी ,प्रार्थी चतुर सिंह निसाद 40 वर्ष ने बताया कि मैं रोजी मजदूरी का कार्य करता हु रोज की तरह शानिवार की सुबह भुंजी मछली बेचने के लिए गया ग्राम काडे की तरफगया था रात होने पर अपने मामा ससुर के घर रुक गया उसके बाद सुबह घर पहुचा तो मेरी पत्नी उत्रा बाई निसाद ने रात में क्यो रुके करके अश्लीलता भरे शब्दों का प्रयोग करते हुए रस्सी से बांध कर मुझे पिट दिया जिससे मेरे शरीर के कई हिस्सों पर चोट आई है।वही इस पूरे मामले में डौंडी थाना प्रभारी अनिल ठाकुर ने प्रार्थी के शिकायत पर आरोपी पत्नी के विरुद्ध में 294,506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पार्षद ने स्वयं के खर्च से सामाजिक भवन में कराया सौंदर्यीकरण कार्य

डोंगरगढ़। नगर की महिला पार्षद ने स्वंय के खर्चे से सामाजिक भवन में सौदरीकरण का कार्य कराकर सराहनीय कार्य किया है। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड न 3 की पार्षद प्राची सौमित्र सोनी के द्वारा वार्ड के गौतम नगर स्थित डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन में स्वंय के खर्चे से लगभग 50 हजार रूपए का सौदरीकरण टाईल्स लगाने का कार्य कराकर समाज को सहयोग प्रधान किया गया है वार्ड की पार्षद श्रीमति सोनी द्वारा सामाजिक भवन में उक्त कार्य के कराए जाने से बादल वाल्दे, संदीप गजभिऐ ,विकास मेश्राम, अरविंद, राजेश खोब्रागढे, सुभाष राउत ,रोशन मेश्राम सहीत गणमान्य लोगों ने सराहना की है। ज्ञात हो कि उक्त भवन लंबे समय से जर्जर पडा हुआ था जिसे पार्षद श्रीमति सोनी द्वारा समाज के लोगों की मांग पर स्वयं का खर्चे से यहा लगभग 50 हजार रूपए का सौदरीकरण कार्य कराया गया है। पार्षद प्राची सोनी ने चर्चा में बताया कि वार्ड में सडक ,नाली, भवन, सहीत अन्य निर्माण कार्य कभी भी कराया जा सकता है लेकिन सामाजिक भवन में सौदरीकरण के लिए थोडी सी मदद कर दी जाए तो यह खुशी की बात है। उक्त कार्य के होने से भवन का लाभ सीधे तौर पर वार्ड के लोगो को मिलेगा।

धान खरीदी केंद्रों में बारदाना ना होने से किसान हो रहे परेशान - तामेश्वर

डोंगरगढ़। अंचल के भाजपा कार्यक्रता व किसान तामेश्वर साहु ने सरकार की धान खरीदी केद्रो में किसानो को बारदाना ना उपलब्ध कराने को लेकर कांग्रेस की सरकार पर कटटास निकालते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनाव में किसानो का दाना -दाना धान खरीदने की बात कही थी। वो अब बारदाना नही खरीद पा रही है प्रदेश में चारो ओर धान खरीदी की व्यवस्था चोर ओर चरमराई हुई है। ना परिवहन की व्यवस्था ना सही तौर पर रखरखाव हो रहा है। तामेश्वर साहु ने आगे कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार कुर्सी में बैठी है तब से प्रदेश के किसान सरकार की कार्यप्रणाली से नाखुश नजर आ रहे है।

संदिग्ध अवस्था में घूमते पाये जाने वाले व्यत्यिों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई

■ जिले में किसी बड़ी वारदात को दे सकते थे अंजाम

कवर्धा (नवप्रदेश)। बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर सतत निगाह रखते हुए संदिग्धों पर उचित वैधानिक कार्यवाही करें, कबीरधाम जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूमने के बहाने या किसी व्यापार या अन्य कारणों से बाहरी राज्य व जिलों से आए हुए व्यक्तियों पर विशेष ध्यान रखने कहा गया था। जिनके बहाने कुछ अपराधिक तत्वों किसी बड़े वारदात को अंजाम न दे सके इसी तारतम्य में अधीक्षक अनिल कुमार सोनी एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री बी.आर.मण्डावी , के मार्गदर्शन पर चोरी एवं नकबजनी के अपराध पर अंकुल लगाने थाना प्रभारी मुकेश सोम के द्वारा थाना क्षेत्र में लगातार गस्त पेट्रोलिंग किया जा रहा है जिसके तहत् 06 व्यक्ति जो संदिग्ध हालत में घुमते हुवे मिले जिन्हे नाम पता पुछने पर गलत नाम पता बता रहे थे। बारिकी से जानकारी एकत्र करने पर उनका नाम व पता गलत पाए जाने पर धारा 109 जाफौ . के तहत् कार्यवाही किया गया है। जिनका नाम निम्नानुसार है 01.लालाजी पिता बिलराम जी उम्र 60 साल।02.ईश्वर चैहान पिता लालाजी चैहान उम्र 28 साल दोनों साकिन चारमंडल थाना देहगांव (गो) जिला - वर्धा , (महाराष्ट्र)। 03.प्रकाश पिता गोविन्द मोहिते उम्र 38 साल। 04.दिलीप पिता सुरेश मोहिते उम्र 24 साल दोनों साकिन खेड़ी , थाना कन्हान जिला नागपुर (महाराष्ट्र)। 05.लखन पिता प्रहलाद मोहिते उम्र 27 साल। 06.किशन पिता प्रहलाद मोहिते उम्र 25 साल दोनों साकिन दापोरी थाना देवली जिला वर्धा (महाराष्ट्र), को एसडीएम कार्यालय कवर्धा के समक्ष पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी 0 मुकेश सोम , प्रआर . 335 हरिश्चंद साहू , आरक्षक 509 संदीप शुक्ला , एवं आरक्षक 672 सुधीन शर्मा का सराहनीय योगदान रहा यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

इंदिरा देवहरी ने संभाला भाटापारा एसडीएम का चार्ज

■ महेश सिंह राजपूत बलौदा बाजार एसडीएम बने

नवप्रदेश संवाददाता

भाटापारा। भाटापारा अनुविभाग की नई अनुविभागीय अधिकारी इंदिरा देवहरी ने सोमवार को अपना चार्ज ले लिया वही यहाँ पदस्थ महेश सिंह राजपूत बलौदा बाजार के एसडीएम बनाये गए है।कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिला मुख्यालय में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच नये सिरे से कार्य-विभाजन आदेश जारी किये हैं।

जिले में प्रशासनिक कसावट को ध्यान में रखते हुये आज कलेक्टर ने नये कार्य-विभाजन किये हैं। जिसके तहत भाटापारा एसडीएम महेश राजपूत को बलौदाबाजार एसडीएम बनाया गया है। उसी तरह सँयुक्त कलेक्टर इंदिरा देवहारी को भाटापारा एसडीएम एवं डिप्टी कलेक्टर मिथलेश डोण्डे को कसडोल एसडीएम के रूप में नयी पदस्थापना दी गई है। तथा कसडोल एसडीएम सँयुक्त कलेक्टर टेकचंद अग्रवाल को मुख्यालय में बुलाया गया है। नई एसडीएम इंदिरा देवहरी ने सोमवार को यहाँ आकर अपना चार्ज ले लिया।

अवैध संबंध के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट

■ पुलिस ने किया मामले का खुलासा

■ डॉग स्वाक्यड़ की रही अहम भूमिका

गरियाबंद। जिले के छुरा थाना क्षेत्र के मामूलीपारा में अज्ञात व्यक्ति का शव झाड़ियों में मिला था। मृतक के शव का चेहरा को कुत्तों ने नोंच डाला था, जिससे कि उसकी शिनाख्त् नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने आखिरकार मामले का पटाक्षेप कर दिया है। मृतक की पहचान छुरा निवासी जयप्रकाश अग्रवाल के नाम से की गई है। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। मामले को सुलझाने में डॉग स्क्वायड की अहम भूमिका रही। जयप्रकाश अग्रवाल की लाश उसके घर के पिछवाड़े लावारिश हालत में बरामद हुई थी। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने छुरा थाना पुलिस टीम को पांच हजार रूपए से पुरस्कृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने पत्रकारवार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामला अवैध संबंध का था। तीन जनवरी को छुरा के मामूलीपारा में अज्ञात व्यक्ति का शव साड़ी एवं सीमेंट बोरियों से ढकी हालत में झाड़ियों में मिला। सूचना पर तत्काल छुरा पुलिस टीम मौके पर पहुंच तस्दीक की गई, जहां अज्ञात मृतक के शव के चेहरे को कुत्तों ने नोंच डाला था, जिससे कि इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। मामले को लेकर पुलिस की स्पेशल टीम एवं डॉग स्वॉ ायड की टीम भी पहुंची हुई थी। जिसके बाद आसपास पतासाजी की गई, तब मामूलीपारा निवासी भुवनेश्वर अग्रवाल ने मृतक के पहने कपड़े व शारीरिक बनावट के आधार पर मृतक को अपने बड़े भाई जयप्रकाश अग्रवाल के रूप में शिनाख्त् की गई। मौके पर मिले साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्ट्या हत्या का अंदेशा पर एवं मृतक के पोस्टमार्डम रिपोर्ट पर मृतक की मृत्यु गला दबाने से होना पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध छुरा थाने में भादवि की धारा 302, 201 पंजीबद्ध किया गया।

श्री पटेल ने बताया कि मौके पर पहुंची क्रैकर डॉग ने घटनास्थल् पर निरीक्षण कर सीधे मृतक जयप्रकाश अग्रवाल एवं पड़ोस के संदेही आरोपी के घर पहुंचकर अंधे कत्ल् में अहम सुराग दिए। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक जयप्रकाश अग्रवाल की पत्नी सुमन अग्रवाल उम्र 25 वर्ष का पड़ोसी देवराज उर्फगोलू साहू उम्र 19 वर्ष के साथ अवैध संबंध था।

न्यायालय नजूल अधिकारी, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./ई-पंजी.202012082200109 1818/अ 20 (1) वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका मथुराबाई कुंभकार साकिव कवर्धा ने नगर नजूल कवर्धा स्थित शीट क्र. 05, भूखंड क्र. 51, क्षेत्रफल 29537.50 वर्गमीटर जो नजूल अभिलेख (जांच रजिस्टर वर्ष 1973-74) शासकीय आवास गृह लो.नि. विभाग, वन मण्डल कार्यालय वन विभाग तथा खुली भूमि के नाम पर दर्ज है। आवेदिका 360 वर्गफुट पर दो वर्षों से शांतिपूर्वक निवासरत रहने के कारण आवेदिका मथुरा बाई कुँभकार पति स्व. सुरेश कुमार व्यवस्थापन हक से अपने नाम से निर्धारण किए जाने हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतएव निर्धारण के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उजर अथवा आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 15/01/2021 तक स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर मान्य नहीं किया जाएगा। आज दिनांक 30/12/2020 को इस न्यायालय के पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

जारी दिनांक 30/12/2020
पेशी दिनांक 15/01/2021

सील

नजूल जांच अधिकारी
कबीरधाम

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

नगर पालिक निगम नवीन मुख्यालय भवन, गांधी चौक, रायपुर के पास
फोन : 0771-25355780, फैक्स:0771-227395
ई मेल : dcrmc@reddiffmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 109/2020-21
वार्ड का नाम- रामकृष्ण परमहंस-20

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रामकृष्ण परमहंस स्थित मकान/ भूमि बी-1 फेस 3 म.नं.-35/57 जो कि निगम अभिलेख में श्री सुनील अग्रवाल s/o ओमप्रकाश के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती परिनीता खंडेलवाल s/o अशोक ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक-8
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

नगर पालिक निगम नवीन मुख्यालय भवन, गांधी चौक, रायपुर के पास
फोन : 0771-25355780, फैक्स:0771-227395
ई मेल : dcrmc@reddiffmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र. 108/2020-21
वार्ड का नाम- रामकृष्ण परमहंस-20

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रामकृष्ण परमहंस स्थित मकान/ भूमि 2/नया भूमि जो कि निगम अभिलेख में श्री पुरूषोत्तम पटेल s/o मानजी भाई पटेल के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती निभा कुमारी w/o शंकर कुमार ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन आयुक्त
जोन क्रमांक-8
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन
प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी खिलौरा, जिला रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत एलआईजी भवन क्र.-02, श्री राजेश नायर पिता श्री टी.आर. रामचन्द्र नायर के नाम पर स्ववित्तीय आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा उक्त भवन का लीजडीड दिनांक 22.11.2011 को निष्पादित करा लिया गया है। वर्तमान में आबंटी श्री राजेश नायर पिता श्री टी.आर. रामचन्द्र नायर, निवासी-सी/32, शंकर नगर सेक्टर 01, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्री/श्रीमती मोहम्मद अफजल पिता मोहम्मद उस्मान, निवासी- ग्राम मुजगहन वार्ड नं. 17, नया बस्ती, रायपुर (छ.ग.) के नाम पर विक्रय हेतु आवेदन पत्र, विक्रय इकरारनामा एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन क्रेता श्री/श्रीमती मोहम्मद अफजल पिता मोहम्मद उस्मान, निवासी ग्राम मुजगहन वार्ड नं.17, नया बस्तीर रायपुर (छ.ग.) के नाम पर विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/भवन के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन
प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी सेजबहार, जिला रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत एलआईजी भवन क्र.-73, श्री अशफाक अहमद मंसूरी पिता स्व. मौलवी के नाम पर इस कार्यालय के नामांतरण आदेश क्र. 506 दिनांक 19.10.2011 के माध्यम से नामांतरित है। वर्तमान में द्वितीय आबंटी श्री अशफाक अहमद मंसूरी पिता स्व. मौलवी, निवासी मकान नं. 3/ए, सड़क नं. 06 से. 11 जोन पोस्ट खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्रीमती प्रशानन्ता सिन्हा पति श्री उमाशंकर सिन्हा, निवासी-27, अम्बेडकर चौक टिकरापारा वार्ड नं. 21, धमतरी, तहसील व जिला धमतरी (छ.ग.) के नाम पर विक्रय हेतु आवेदन पत्र, विक्रय इकरारनामा एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन क्रेता श्रीमती प्रशानन्ता सिन्हा पति श्री उमाशंकर सिन्हा निवासी-27 अम्बेडकर चौक टिकरापारा वार्ड 21 धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.) के नाम विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/भवन के विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय रा.नि.मं. मंदिर हसौद तहसील आरंग जिला-रायपुर (छ.ग.)

आम सूचना

जारी दिनांक 02/1/2021

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रोशनलाल पिता ओमप्रकाश निवासी उमिरिया द्वारा आवेदित ग्राम खुटेरी प.ह.नं. 22 राजस्व निरीक्षक मंडल मंदिर हसौद स्थित भूमि खसरा नंबर 57/6, 57/8 रकबा क्रमशः 1.51 हे., 1.20 हे. कुल रकबा 2.71 हे. भूमि का सीमांकन न्यायालय ना. तहसीलदार मंदिर हसौद आदेश दिनांक 17/11/2020 के परिपालन में दिनांक 12/1/2021 को समय अपरान्ह 12 बजे मेरे द्वारा किया जाना नियत किया गया है।

अतः उक्त सीमांकन से जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा/आपत्ति हो वे उक्त सीमांकन हेतु नियत तिथि में हल्का पटवारी नंबर 21 के मंदिर हसौद स्थित पटवारी कार्यालय में अपने दस्तावेजों सहित स्वयं अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरांत किसी दावा/आपत्ति पर मेरे द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

सील

राजस्व निरीक्षक
मंदिर हसौद

न्यायालय नायब तहसीलदार आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202010114100027/अ-6 (अ) वर्ष 2020-21
ग्राम- बनरसी, प.ह.नं.-48

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मेहत्तरराम साहू पिता नरोत्तम साहू निवासी ग्राम कुसमुंद तहसील आरंग जिला रायपुर ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम बनरसी प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. समोदा तहसील आरंग जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 332 रकबा 0.560 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर आवेदक मेहत्तरराम साहू के पिता का नाम चैतूराम साहू है, जो भूलवश त्रुटि होने से मेहत्तरराम साहू पिता नरोत्तम साहू दर्ज हो गया है। आवेदक उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर राजस्व अभिलेख में आवेदक मेहत्तरराम साहू पिता नरोत्तम उर्फ चैतूराम साहू राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को दावा आपत्ति हो तो इस न्यायालय में दिनांक 14/01/2021 तक स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 30/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सील

नायब तहसीलदार
आरंग, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202012114100008/अ-6 वर्ष 2020-21 ग्राम- अकोलीकला, प.ह.नं. 58

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सूरज लाल भारती पिता स्व. समारू भारती निवासी रावांभाठा थाना व तहसील आरंग जिला रायपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम अकोलीकला प.ह.नं. 58 रा.नि.मं. भिलाई तहसील आरंग स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 371/3 रकबा 0.960 हे. भूमि बिटावन पिता सूरजमल के नाम पर बतौर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि खातेदार बिटावन पिता सूरजमल की फौत दिनांक 15/11/2019 को स्थान रावांभाठा तहसील आरंग जिला रायपुर में हो गया है। उनके मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसानों के नाम पर दर्ज कर फौती नामांतरण किए जाने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को दावा आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 07/01/2021 तक स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 21/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सील

नायब तहसीलदार
आरंग

न्यायालय तहसीलदार आरंग, जिला रायपुर छ.ग.

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष 2020-21
ग्राम आरंग प.ह.नं. 54

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय श्री शिवकुमार डहरिया मंत्री, छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम विभाग का पत्र क्रमांक/302/नं. प्र.वि.श्र.वि./ 2020 रायपुर, दिनांक 22.11.2020 संलग्न है। जिसके अनुसार छ.ग. स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/ छगवेका/अभनपुरा/ 2020-21/ 386 दिनांक 02.11.2020 द्वारा ग्राम आरंग प.ह.नं. 54 तहसील आरंग जिला रायपुर छ.ग. स्थित भूमि खसरा नं. 1222/1(ख) में 6.531 हे. व खसरा नं 1222/15 में रकबा 0.809 हे. कुल रकबा 7.34 हे. में से 5 एकड़ भूमि को शासन की महत्वपूर्ण योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 10800 मे. टन क्षमता का गोदाम निर्माण शीघर अतिशीघ्र किए जाने हेतु गोदाम निर्माण की निविदा प्रारंभ की स्थिति में होना तथा कुल रकबा 7.34 हे. भूमि में से 5 एकड़ खाद्य विभाग को गोदाम निर्माण हेतु भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 21.01.2021 तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सील

तहसीलदार
आरंग, रायपुर (छ.ग.)

यूको बैंक UCO BANK

शाखा कार्यालय : सेक्टर-1, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
फोन : 0788-2221244, ई-मेल : bhilai@ucobank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (1)] के तहत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूको बैंक, शाखा- भिलाई (छ.ग.) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8,9 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य (कब्जा) नीचे वर्णित दिनांक को ग्रहण कर लिया है तथा जिसका विवरण अधोवर्णित है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आकर्षित किया गया है।

ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय यूको बैंक के मूल ब्याज व अन्य व्यय के भार के अधीन होगा जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	ऋणी/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि
1.	मेसर्स अशोका ट्रेड लिंक	प्लॉट नं. 2435, रो मकान नं. 13, स्वयन शिल्प परिसर, वार्ड नं. 36, खुर्सीपार, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) में स्थित भवन व भूमि के समस्त भाग तथा अंश। चौहद्दी- उत्तर- राजेश कुमार यादव का मकान, दक्षिण- तारा चंद अग्रवाल का मकान, पूर्व- सड़क, पश्चिम- जगदीश कौशिक का मकान।	09.01.2020 / 29.12.2020	₹ 32,96,938.95 + ब्याज देय व अन्य खर्चा।

दिनांक- 05.01.2021 स्थान- भिलाई (छ.ग.) मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी / यूको बैंक

यूको बैंक UCO BANK

यूको बैंक, जीपीसी- दुर्ग शाखा,
पॉलिटेक्निक कॉलेज केम्पस, दुर्ग (छ.ग.) पिन-491001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (1)] के तहत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूको बैंक, जीपीसी- दुर्ग शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8,9 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य (कब्जा) नीचे वर्णित दिनांक को ग्रहण कर लिया है तथा जिसका विवरण अधोवर्णित है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आकर्षित किया गया है।

ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय यूको बैंक के मूल ब्याज व अन्य व्यय के भार के अधीन होगा जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	ऋणी का नाम शाखा	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि / कब्जा के प्रकार	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि
1.	श्रीमती रंजीत कौर राजपूत पति- श्री कुलदीप सिंह व श्री सरबजीत सिंह राजपूत पिता- श्री कुलदीप सिंह	ग्राम- सिकोला, प.ह.नं. 17, औद्योगिक नगर, कादम्बरी नाला के पास, वार्ड नं. 18, कादम्बरी नगर पालिक निगम दुर्ग छ.ग. में स्थित खसरा नं. 252/134, चौहद्दी- उत्तर- प्लॉट नं. 42 का साझा दीवार, दक्षिण- 15 फिट रास्ता, पूर्व- 15 फिट रास्ता, पश्चिम- प्लॉट नं. 42 का साझा दीवार।	19.10.2020 / 29.12.2020 / सांकेतिक कब्जा	₹ 19,13,023.59/- + ब्याज देय + अन्य खर्चा।

दिनांक- 05.01.2021 स्थान- दुर्ग (छ.ग.) मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी / यूको बैंक

प्रथम पृष्ठ का शेष...

आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़...

बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम सेलर में गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि सेलर गांव की महिलाएं उनके समूह द्वारा उत्पादित मशरूम की बिक्री के लिए एक एग्रो कंपनी के साथ एमओयू कर रही हैं।

टावरों में तोड़फोड़...

न तो कॉरपोरेट या अनुबंध पर खेती करती है और न ही करवाती है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसकी इस कारोबार में उतरने की कोई योजना नहीं है। 'कॉर्पोरेट' या 'कॉन्ट्रैक्ट' खेती के लिये रिलायंस या रिलायंस की सहायक किसी भी कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती की कोई भी जमीन हरियाणा - पंजाब अथवा देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं खरीदी है और न ही ऐसा करने की हमारी कोई योजना है।

किसानों से सीधे नहीं खरीदते अनाज

रिलायंस ने न्यायालय को यह भी बताया कि रिलायंस रिटेल संगठित रिटेल सेक्टर की कंपनी है और विभिन्न कंपनियों के अलग -अलग उत्पादों को बेचती है पर कंपनी किसानों से सीधे खाद्यान्नों की खरीद नहीं करती और न ही किसानों के साथ कोई दीर्घकालीन खरीद अनुबंध में कंपनी शामिल है।

आंदोलन के 40वें दिन..

को 'कानूनी रूप' देने पर बातचीत का प्रस्ताव किया लेकिन किसान यूनियन के नेताओं ने इस पर चर्चा से इनकार कर दिया। वे कृषि कानून को निरस्त करने की अपनी मांग पर अडिग रहे।

वैक्सीन आपूर्ति पर...

है। केंद्र सरकार ने कहा है कि टीकाकरण के पहले चरण के अभियान के दौरान एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों तथा कोरोना के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर डटे दो करोड़ लोगों को निशुल्क टीका लगाया जायेगा। भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने रविवार को कोविशील्ड तथा भारत बायोटेक तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) के सहयोग से तैयार पूरी तरह स्वदेशी कोरोना वैक्सीन 'कोवैक्सीन' के आपात इस्तेमाल को सशर्त मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने फिलहाल टीकाकरण अभियान के लिए किसी भी कंपनी के साथ वैक्सीन की आपूर्ति का समझौता नहीं किया है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 22.12.2020

(ई-प्रोक्योरमेंट बेरोजगार इंजीनियर निविदा सूचना)

(प्रथम आमंत्रण)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से बेरोजगार इंजीनियरों के लिए ऑनलाईन निविदाएं प्रपत्र ''अअ'' में प्रतिशत दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 11.01.2021 तक आमंत्रित की जाती है :-

निविदा सिस्टम क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)
T0188	वार्ड क्र.-13 मुख्य मार्ग से हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन बोडला तक पहुंच मार्ग लंबाई 400 मीटर कार्य	21.00
T0189	ग्राम- नवागांव में बलराम पटेल के घर के पास से शासकीय पूर्व माध्य. शाला भवन तक पहुंच मार्ग लंबाई 250 मीटर कार्य	20.06
T0190	ग्राम- बरदुली में मेन रोड से प्राथमिक शाला भवन तक पहुंच मार्ग लंबाई 250 मीटर कार्य	20.08
T0191	वार्ड क्र.-15 मुख्य मार्ग भोरमदेव से उपस्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंच मार्ग लंबाई 400 मीटर कार्य	21.00
T0192	ग्राम- भैंसबोड़ में नया तालाब वट वृक्ष के पास प्राथमिक शाला भवन, आंगनबाड़ी भवन एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान तक पहुंच मार्ग लंबाई 430 मीटर कार्य	34.24
T0193	ग्राम- राम्हेपुर में लखन के घर के पास से शासकीय पूर्व माध्य. शाला भवन तक पहुंच मार्ग लंबाई 430 मीटर कार्य	35.77
T0195	ग्राम- बासिनझोरी में तालाब के पास सड़क से शासकीय पूर्व माध्य. शाला भवन तक पहुंच मार्ग लंबाई 400 मीटर कार्य	31.97
T0196	ग्राम- नवघटा में मेन रोड दैहान चौक से हाई स्कूल भवन तक पहुंच मार्ग लंबाई 600 मीटर कार्य	47.56

टीप :-
1. उक्त समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग, कवर्धा संभाग कवर्धा के हैं।
2. एनआईटी क्र. 21,22,23 एवं 24 बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियर एवं एनआईटी क्र. 25,26,27 एवं 28 बेरोजगार डिग्री इंजीनियर के लिए आमंत्रित है।
3. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब portal एवं विभागीय वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
4. पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर एन.आई.टी. क्रमांक एवं कार्य का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए।

जी-86067/5

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग
दूरभाष - 0788-2210876

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

परिवारक विवाद के चलते पत्नी ने पति पर कर दिया कुल्हाड़ी से वार

- फिर बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई
- उपचार के दौरान पति की मौत, ग्रामीणों ने तीनों बच्चों और महिला को बचा लिया

नवप्रदेश संवाददाता

बिलासपुर। पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल किया फिर अपने तीन बच्चों के साथ खुद कुँए में कूद गई, उपचार के दौरान पति की मौत हो गई , ग्रामीणों ने तीनों बच्चों और महिला को बचा लिया।

मिली जानकारी के अनुसार पेंड्रा थानांतर्गत ग्राम पंचायत आमाडाँड़ के आश्रित गाँव डोंगरापारा में यह दिल दलहला देने वाला मामला सामने आया है जहाँ की रहने वाली विद्या पैकरा ने अपने पति अनुरूप पैकरा पर धारदार हथियार से हमला कर तीन बच्चों को कुएँ में फेंककर खुद भी कुएँ में कूद गई।

जिसकी जानकारी आसपास के रहवासियों को लगी जिसके बाद लोगों ने कुएं में उतरकर पहले तो तीनों बच्चों को निकाला और महिला को भी कुएं से निकाला। जिसके बाद महिला फिर से दूसरे कुएं में कूद गई जिसे ग्रामीणों ने फिर निकाला और 112 को फोन किया। जिसके बाद 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल पति, तीनों बच्चे और महिला को लेकर पेंड्रा के जिला अस्पताल पहुंचे जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। वही बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है जिनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है साथ ही आरोपी महिला को थाने लाया गया है और पुलिस के द्वारा पूछताछ किया जा रहा है

वही महिला के परिजनों और पड़ोसियों ने बताया कि पारिवारिक समस्या के साथ-साथ महिला पिछले कुछ महीनों से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी जिसका इलाज भी कराया जा रहा था। जिसके बाद तड़के सुबह महिला ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दे दिया फिलहाल पेंड्रा पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना में जुट गई है।

1 लाख का ईनामी डीकेएएमएस अध्यक्ष गिरफ्तार

बीजापुर - नवप्रदेश। जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत् थाना उसूर से जिला बल, केरिपु 229, 241 का संयुक्त बल नड़पल्ली, मारूड़बाका की ओर रवाना हुई थी। मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर मारूड़बाका से डीकेएएमएस अध्यक्ष पूनेम बिंदा पिता हड़मा उर्फ रेंगा उम्र 48 वर्ष साकिन मारूड़बाका थाना उसूर जिला बीजापुर को पकड़ा गया। पकडे गए माओवादी पर छग माओवादी इनाम नीति के तहत 01 लाख का इनाम घोषित है, पुलिस अधीक्षक बीजापुर द्वारा भी 10.00 हजार का इनाम उद्घोषित है। पकड़ा गया माओवादी थाना उसूर क्षेत्रान्तर्गत - 03 फरवरी 2006 को मारूड़बाका आश्रम भवन में शिक्षकों को बंदी बनाकर स्कूल में तोड़फोड़ की घटना में शामिल। 31 जनवरी 2007 को पुजारीकांकेर के जंगलों में पुलिस पार्टी पर बम बलास्ट कर फायरिंग की घटना में शामिल।

डीएकेएमएस अध्यक्ष सोमलू कश्यप उर्फ हेमला सोमलू गिरफ्तार

बीजापुर - नवप्रदेश। जिले में चलाये जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत् थाना मिरतूर व सीएएफ कैम्प चेरली से 02 जनवरी की रात्रि में जिला बल एवं सीएएफ संयुक्त पार्टी एरिया डॉमिनेशन /गस्त सर्चिंग पर ग्राम बेचापाल, पिटेपाल, कोकोड़ीपारा की ओर निकली थी, नक्सल गस्त से वापसी दौरान ग्राम पिटेपाल कोकोड़ीपारा के मध्य जंगलों से एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर लुकते छुपते भागने लगा जिसे पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर पकडा गया जिससे पुछताछ करने पर अपना नाम सोमलू कश्यप उर्फ हेमला सोमलू पिता स्व. छन्नू उम्र 40 वर्ष साकिन चेरली का होना बताया। पकड़ा गया माओवादी 17 जनवरी 2007 को ग्राम हल्लूर - पोमरा में पुलिस पार्टी पर हमला करने में शामिल। 28 मार्च 2009 को ग्रामीण कड़ती सुकारू को धारधार हथियार से हत्या करने में शामिल। 27.0.2016 को पुलिस बल के जवान लालू राम ओयाम की हत्या करने की नीयत से हमला करने की घटना में शामिल। 03 मार्च 2017 में ग्राम चेरली पिटोडी पारा में पुलिस पार्टी पर हमला करने में शामिल जिसमें 01 सीएएफ आरक्षक एवं 01 सहा.आर. शहीद हुये थे। 19 दिसंबर 2017 को ग्रामीण सन्नू ओयाम की टंगिया से मारकर हत्या करने में शामिल। 23 मार्च 2018 को सहा.आर. महेश मण्डावी की हत्या करने की नीयत से हमला करने की घटना में शामिल। 20.10.2018 को हल्लूर में पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल था। गिरफ्तार माओवादी के विरूद्ध थाना मिरतूर में 07 स्थायी वारण्ट लम्बित है। थाना मिरतूर में विधिवत गिरफ्तारी उपरान्त रिमाण्ड पर न्यायालय बीजापुर पेश किया गया है।

गीदम से दिन दहाड़े बाइक चुराने वाला चोर पकड़ाया

नवप्रदेश संवाददाता

दंतेवाड़ा। गीदम नगर में बीते 31 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 01 से दिनेश कुमार गुप्ता की बाइक टीवीएस विक्टर सीजी18-एल-3387 दिन दहाड़े चोरी हो गयी थी जिसकी रिपोर्ट गीदम थाने में दर्ज हुई थी। इधर लगातार दिन दहाड़े चोरी की घटना गीदम पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा था।

लगातार पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश किया गया एवं गीदम थाना क्षेत्र एवं अन्य थाना क्षेत्र के चोर-बदमाशों को तलब कर पूछताछ किया गया जिससें चोरो में हडकंप सा मच गया था। इस दरमियान मुखबिर की खबर से मिली सूचना के आधार पर एक अहम सूत्र हाथ लगा जिसे पुलिस द्वारा कड़ी दर कड़ी जोडते हुये चोरो तक पहुँचने में सफलता हाथ लगी पता चला की उक्त मोटर सायकल को बचेली के चोरो द्वारा चोरी करने पर तत्काल ही पुलिस पार्टी द्वारा बचेली जाकर दो अपचारी बालको को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जो गीदम आकर मोटर सायकल को चोरी करना बताये एवं उक्त मोटर सायकल को बचेली के रमेश रेडडी पिता स्व0 श्री नोटिस रेडडी उम्र 25 निवासी वार्ड क्रमांक 02 अंधेरी चौक बचेली के पास 5000/- रूपये में विक्रय करना बताने पर चोरी किये गये मोटर सायकल क्रमांक सीजी-18-एल-3387 नीला कलर को आरोपी रमेश रेडडी से बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण में चोरी की मोटर सायकल को खरीदने पर प्रकरण में धारा 411, 34 भादवि जोड़ी गई इस तरह पुलिस के सामने दिन दहाड़े मोटर सायकल चोरी को दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल एवं उदय किरण के निर्देश पर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकार दंतेवाड़ा चन्द्रकांत गवर्ना के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गोविंद यादव के नेतृव मे उप निरीक्षक सुभाष पवार, प्र.आर. 341 राजकुमार सिंह, प्र.आर.62 कौशल मिर्झा, आर.634 मनोज कुमार भारद्वाज, आर.146 दिवाकर मिश्रा, आर.663 संदीप बक्शी, आर. 704 जुगलाल नेताम, आर. 606 चक्रधर बरिहा के द्वारा चोरो को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है एवं चोरो को रिमाण्ड पर भेजा गया।